


उत्तर पूर्वी श्रेत्रीय कृषि
विपणन निगम लिमिटेड



सातवीं
वार्षिक रिपोर्ट
1988 - 89



उत्तर पूर्वी श्रेत्रीय कृषि
विपणन निगम लिमिटेड



सातवीं
वार्षिक रिपोर्ट
1988 - 89

श्री श्री गणेशाय नमः
शुभं भवतु सर्वदा

निदेशक बोर्ड

(30 सितम्बर, 1993 को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डा. एम.एम.कृष्णा

निदेशक

श्री जे. तैयंग
श्री आर. धानसंगा
श्री ओ.पी. गोवर
श्री एच.वी. लालरिंगा
श्री सी.डी. देओरी
श्रीमती अनिता मैन्नन
श्री आर.जे. सिंह
श्री अशीश कुमार
डा.ए.जी.नायक खुराडे
डा.वी.एन.अम्बोपा
डा.वी.एच.पोट्टी
श्री भास्कर मुष्टारे
श्री वी.शुलसीदास

7 वीं

वार्षिक रिपोर्ट 1988-89

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय

कृषि विपणन निगम, लिमिटेड

विषय सूची

निदेशक बोर्ड	1 - 2
नोटिस	3
निदेशक रिपोर्ट	4
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंध के उत्तर	9
लेखों की समीक्षा	12
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंध के उत्तर	16
तुलन पत्र	53 - 54
लाभ तथा हानि लेखा	55
अनुसूचियाँ	56

कंपनी सचिव(कार्यकारी)

श्री एल.रहमान

लेखा परीक्षक


मैसर्स एच.खांड एण्ड कं०,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पान बजार,
गुवाहाटी-781001

बैंकर्स :

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
इण्डियन बैंक
विजय बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
ए.एन.जेड ग्रुन्डले बैंक
यूको बैंक

पंजीकृत कार्यालय

राजगढ़ रोड
गुवाहाटी-781003
(असम)



निदेशक बोर्ड :

(31 मार्च, 1989 को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डा.एल.कृष्ण स्वामी

निदेशक:

श्री टी.के.भट्टाचार्य
 श्री पी.जे.बाजले
 श्री आर.धनसंगा
 श्री टी.इमचिन
 श्री ओ.पी.गोवर
 डा.आन्नद जी.नायक खुराडे
 डा.वी.एच.पोदटी
 श्री एल.रंजन
 श्री डी.वी.सिंह
 श्री वाई.मेहेन्द्र सिंह
 श्री एम.आर.सिवारामन
 श्री सी.वी.अवधानी
 श्री आर.के.टंडन
 श्री आर.एन.चक्रवर्ती

वित्तीय सलाहकार एवं कंपनी सेक्रेटरी

श्री टी.वी.सुन्दरसेन

लेखा परीक्षक :


मै0 ए.भट्टाचार्य एण्ड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट,
 पान बाजार,
 गुवाहाटी-781001 (असम)

बैंकर:

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
 यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
 इण्डियन बैंक
 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

पंजीकृत कार्यालय

राजगढ़ रोड,
 गुवाहाटी-781003(असम)



उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

फोन सं० 27062
दिनांक : 15.09.93

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड की वर्ष 1988-89 की स्थगित 7 वीं वार्षिक आम बैठक वृहस्पतिवार 30 सितम्बर, 1993 को राजगढ़ रोड, गुवाहाटी में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 3.30 बजे अपराहन निम्नलिखित कार्यों के लिये आयोजित की जायेगी।

1. 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त एवं स्वीकृत करना।
2. अध्यक्ष की अनुमति से सामान्य रूप से किया जा सकने वाला कोई अन्य कार्य।

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार
ह०

स्थान-गुवाहाटी
दि०-15 सितम्बर, 1993

(डा० एम० एम० कृष्णा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेवा में,


1-कंपनी के सभी सदस्य

2-मै० ए० भट्टाचार्या एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पान बाजार, गुवाहाटी- 781 003

टिप्पणी-बैठक में भाग लेने और वोट देनेका पात्र सदस्य अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) को बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।



शेयरधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा विवरणियों के साथ निगम के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक बोर्ड को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है-

	(रुपस लाखों में)	
	<u>1988-89</u>	<u>1987-88</u>
ब्याज एवं मूल्य ह्रास से पहले लाभ/हानि/	(54.76)	(16.64)
घटायें ब्याज	45.12	15.17
परिचालन घाटा	(99.88)	(31.81)
घटायें मूल्यह्रास	45.62	1.23
खाता हानि	(145.50)	(33.04)
सामान्य रिजर्व को अंतरित	(145.50)	(33.04)

टिप्पणी-कोष्ठक के अन्दर के अंक घाटा प्रदर्शित करते हैं ।

वर्ष के दौरान कंपनी का कारोबार 83.03 लाख रुपये का था जबकि पिछले वर्ष यह 68.36 लाख रुपये था। कारोबार में वृद्धि का कारण गंजनी तेल, तेल की खली, फल उत्पादों और अनन्नास रस (पाइनरस), अनबुझा चूना और काजू आदि के व्यापारिक क्रियाकलापों की वृद्धि है। वर्ष के दौरान ब्याज और मूल्य ह्रास से पहले घाटा 54.76 लाख रुपये था जो पिछले साल के दौरान 16.64 लाख रुपये था।

पिछले वर्ष 33.04 लाख रुपये की तुलना में निगम को इस वर्ष के दौरान 145.50 लाख रुपये का निबल घाटा हुआ । घाटे में वृद्धि के मुख्य कारण वर्ष के दौरान अनन्नास रस सांद्रण संपंत्र में बहुत कम उत्पादन कार्य और अधिक मूल्य ह्रास एवं ब्याज हैं ।

पूंजी -संरचना

1. शेयर पूंजी

31.3.1989 को निगम में प्राधिकृत शेयर पूंजी पिछले वर्ष के समान ही 500-00 लाख रुपये थी ।

निगम की प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है और यह पिछले वर्ष की भांति 31-3-89 को 244.00 लाख रुपये है।

ऋण -पूंजी

11) 31 मार्च, 1989 को निगम की ऋण देयता निम्नलिखित थी:-

(रुपये लाखों में)

1.	भारत सरकार	256.00
2.	भारत सरकार से लिये गये ऋणों पर जमा एवं देय ब्याज	96.72
3.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, गुवाहाटी ब्रांच से नकद क्रेडिट	23.44

लाभांश

वर्ष के दौरान घाटे को देखते हुए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

भौतिक-निष्पादन

1. फल, रस, सांद्रण संयंत्र

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है फल रस, सांद्रण, संयंत्र, नलकटा को 10 जून, 1988 को चालू किया गया था। वर्ष 1988-89 के दौरान यह संयंत्र केवल 641.54 मी0टन0 अनन्नास का प्रसंस्करण कर सका और 36.05 मी0टन0 अनन्नास रस सांद्रण का उत्पादन कर सका। जबकि संयंत्र की संस्थापित क्षमता 634.00 मी0 टन0 सांद्रण की थी। परियोजना रिपोर्ट में निहित 9.08:1 की तुलना में उत्पादन अनुपात 17.75:1 है। सांद्रण के विपणन की समस्याओं को देखते हुए निगम ने "पाइन रस" ब्राण्ड नाम के अंतर्गत तैयार पेय बेचने का निर्णय लिया था ताकि अनन्नास रस सांद्रण का उपयोग किया जा सके। वर्ष के दौरान 9.87 मी0 टन0 सांद्रण का उपयोग करके कुल 42,045 ट्रे तैयार पेय प्रसंस्कृत किया गया।

11) व्यापारिक क्रिया कलाप

निगम ने वर्ष 1988-89 के दौरान 19.78 मी0 टन0 गंजनी तेल प्राप्त किया जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान इसकी मात्रा 16.08 मी0 टन0 थी। कच्चे गंजनी तेल के अलावा निगम ने वर्ष 1988-89 के दौरान गंजनी तेल पर आधारित उत्पादों का भी विपणन किया।

गंजनी तेल के अलावा निगम ने विभिन्न दूसरी वस्तुओं का भी विपणन किया जैसे तेल की खली, काजू, फल उत्पाद, फल रस, अण्डुआ चूना आदि। अन्य दूसरी पारस्परिक वस्तुओं के अलावा यह उत्पादन किया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कुल 79.42 लाख रुपये का कारोबार किया गया।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए) के अधीन आवश्यक कर्मचारी-विवरणी अनुसूची -1 के रूप में संलग्न है।

कंपनी के लेखा-परीक्षक

मै0 ए0 भट्टाचार्या एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, गुवाहाटी को वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिये निगम का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर दिये गये निष्कर्षों के संबंध में कंपनी के उत्तर इसके साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के निगम के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और इन टिप्पणियों पर प्रबंध के उत्तर एवं लेखों की पुनरीक्षा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक

वर्ष 1988-89 के दौरान कंपनी के निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:-

नये नियुक्त निदेशक

श्री एस0 सेन चौधरी	01.07.1988 से
श्री पी0 पी0 वर्मा	02.11.1988 से
श्री डी0 वी0 सिंह	02.11.1988 से
श्री सी0 वी0 अवैदानी	27.12.1988 से
श्री आर0 के0 टन्डन	14.03.1989 से
श्री आर0 एन0 चक्रवर्ती	14.04.1989 से
सेवा निवृत्त निदेशक	

श्री वी0 तुलसीदास	01.07.1988 से
श्री पी0 सी0 सरमा	02.11.1988 से
श्री वी0 एच0 लैरिंगा	02.11.1988 से
श्री वी0 के0 दुग्गल	27.12.1988 से
श्री पी0 पी0 वर्मा	14.03.1989 से
श्री जूलियस सेन	14.03.1989 से
श्री एस0 सेन चौधरी	14.03.1989 से

आभार

निदेशक बोर्ड भारत सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागीदार राज्यों, बैंकों, सहाकारिताओं, दूसरे सरकारी निकायों एवं निगमों का आभार प्रगट करता है जिन्होंने निगम के विभिन्न क्रिया कलापों के लिये अपना अधिकतम सहयोग

दिया है । यह बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी उनके अमूल्य मार्ग दर्शन एवं सलाह के लिये धन्यवाद करता है । बोर्ड निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की तराहना करता है ।


स्थान गुवाहाटी
दिनांक: 20.09.1993

निदेशक बोर्ड की ओर से,
हृ०/
(डा० एम० एम० कृष्णा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारियों के वितरण

क्र०सं०	कर्मचारियों के नाम	पद	वेतन	नियुक्ति की क्रिस्म एवं शर्तें	अर्हता	कुल अनुभव	कार्य का स्वरूप	नियुक्ति तारीख	आयु	पिछली नियुक्ति	इतिवृत्ति
क)	संपूर्ण वित्तीय	वर्ष के दौरान	नियुक्त एवं प्रतिवर्ष	72,000/- से कम वेतन नहीं।							
1.	डा० रल० कृष्णस्वामी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	94,987.25 रुपये	अतिरिक्त	एम.एस.सी (कृषि) आर.आर.ए.पी-एच० डी०	27 वर्ष	चीफ एग्जीक्यूटिव	2.1.86	52 वर्ष	भारत सरकार में नियुक्त कृषि विपणन सलाहकार	शून्य
ख)	वित्तीय वर्ष के कुछ समय तक नियुक्त और प्रतिमास 6,000/- से कम वेतन नहीं।										
1.	श्री वी० पी० सिंह	वित्तीय सलाहकार	24,812.15 रुपये	प्रति नियुक्ति	बी.ए. बी.एल. आई.सी. एम-ए (लन्दन) एत. एफ.एस.	32 वर्ष	वरिष्ठ एग्जी-क्यूटिव	21.5.85	56 वर्ष	"इच्छा" में संयुक्त वित्तीय सलाहकार	शून्य

अनुलग्नक-1



सं० सी.ए.डब्ल्यू.(ए)/2-37/91
92/249

पंजीकृत/गोपनीय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
असम, मेघालय, अरुणाचल, प्रदेश और
मिजोरम,

शिलांग-793001
दिनांक:- 19.07.1993

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड,
राजगढ़ रोड, गुवाहाटी-781003

विषय:- 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के
अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां ।

महोदय,

मुझे पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 1989 को
समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां और लेखा पुनरीक्षा कंपनी की
वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये इसके साथ भेजने का निदेश मिला
है।

2. टिप्पणीयां और लेखा पुनरीक्षा कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समक्ष
प्रस्तुत करने की तारीख के बारे में कृपया सूचित करें ।
3. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित पांच प्रतिलिपियां जब तैयार हो जाये,
कृपया इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।


इस पत्र की पावती भी भेजने का कष्ट करें ।

भवदीय

ह०

उप- महालेखाकार

संलग्न: उपरोक्त




उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां ।

सामान्य

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के फलस्वरूप वह बताया गया कि कंपनी के उन लेखों पर 6 अगस्त, 1990 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी की गई थी जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 215 के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से प्रमाणित नहीं थे । सांविधिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट संशोधित करनी थी और संशोधित रिपोर्ट 29 जून, 1992 को जारी करनी थी ।
2. कंपनी के लेखे तीन वर्ष से बकाया पड़े हैं ।

ह0/-

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)



31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंध के उत्तर ।

टिप्पणियाँ


प्रबंध के उत्तर

सामान्य

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणियाँ नहीं अनुपूरक लेखा परीक्षा के फलस्वरूप यह बताया गया था कि सांविधिक लेखा परीक्षक ने 6 अगस्त, 1990 को कंपनी के लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की थी जो अधिनियम की धारा 215 के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से प्रमाणित नहीं थे । सांविधिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट संशोधित करनी थी और 29 जून, 1992 को संशोधित रिपोर्ट जारी करनी थी ।

2. कंपनी के लेखे तीन वर्षों से बकाया पड़े हैं ।

अनुपालन के लिये नोट कर लिया गया है ।



31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पुनरीक्षा

1. वित्तीय स्थिति

नीचे की सारणी में कंपनी के पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है

	रूप में लाखों में		
	<u>1986-87</u>	<u>1987-88</u>	<u>1988-89</u>
<u>देयतायें</u>			
क) प्रदत्त पूंजी	244.00	244.00	244.00
ख) रिजर्व एवं अधिशेष रिजर्व	5.21	5.21	5.21
ग) ऋण लिया गया			
I. भारत सरकार	256.00	256.00	256.00
II. बैंक नकद ऋण	-	-	-
घ) वर्तमान देयतायें एवं प्रावधान	28.46	79.96	142.50
योग :	<u>533.67</u>	<u>585.17</u>	<u>671.16</u>
<u>परिसंपत्तियां</u>			
ड0) निबल ब्लाक	13.11	16.25	358.87
च) घटायें, संचित मूल्य हास से	1.17	5.70	50.00
छ) निबल ब्लाक	3.94	10.47	308.21
ज) पूंजीगत चालू कार्य	210.04	334.64	24.04
झ) पूंजी निवेश	-	-	0.03
ञ) चालू परिसंपत्तियां			
ऋण एवं अग्रिम	290.48	182.88	124.65
ट) पूंजीकृत व्यय (बढ़ते खाते न डाला गया)	0.40	0.32	11.87
ठ) संचित घाटा	23.81	56.86	202.36
योग :	<u>533.67</u>	<u>585.17</u>	<u>671.16</u>

लगाई गई पूंजी	1986-87	1987-88	1988-89
(न.+प्र+घ)	270.96	113.39	290.36
निवल धनराशि (क+ख-(ट+ठ))	225.00	192.03	34.98
प्रदत्त पूंजी के प्रति रूपर निवल राशि	0.92	0.78	0.14

2. ऋण इक्विटी अनुपात

वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में कंपनी का ऋण-इक्विटी अनुपात 1.05 था जो यह प्रदर्शित करता है कि कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है।

3. नकदी एवं ऋण-परिशोधन क्षमता

1. कंपनी की कुल परिसम्पत्तियों में चालू परिसंपत्तियों के संदर्भ में कंपनी की नकदी एवं ऋण शोधन क्षमता 1986-87 में 54, 1987-88 में 31 और 1988-89 में 19 थी जिससे प्रदर्शित होता है कि चालू परिसंपत्तियों में गिरावट आ रही है।

1.1) चालू देयताओं (प्रावधानों सहित) पर चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत, जो ऋण शोधन का साधन है, वर्ष 1986-87, 1987-88, और 1988-89 में क्रमशः 1020, 229 और 87 था। 1988-89 में अनुपात काफी कम हो गया जो कंपनी की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति खराब होने का प्रतीक है।

1.1.1. चालू देयताओं (प्रावधानों को छोड़कर) पर तुरन्त परिसम्पत्तियों (विविध देनदार, ऋण, अग्रिम और नकद एवं बैंक बकाया) का प्रतिशत, जो ऋण शोधन का दूसरा साधन है, 1986-87 में 979, 1987-88 में 202 और 1988-89 में 50 था जो वर्ष 1988-89 में कंपनी के नकद स्रोतों की कमी को प्रदर्शित करता है।

4. कार्य-शील पूंजी

31 मार्च, 1989 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के अंत में कार्यशील पूंजी (अर्थात् चालू परिसंपत्तियां-चालू देयतायें और प्रावधान) क्रमशः 262.02 लाख ₹0, 102.92 लाख ₹0 और (17.85 लाख ₹0) थी जो कंपनी की अल्प कालिक वित्तीय स्थिति में गिरावट को प्रदर्शित करता है।

5. निधि स्रोत एवं उपयोग

वर्ष के दौरान आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से निम्नलिखित रूप में 68.33 लाख रुपये की निधियां जुटाई गईं और उपयोग की गईं:-

	<u>निधि-स्तोत्र</u>	<u>(रूपये लाखों में)</u>
क)	संचित मूल्यहास वृद्धि	44.98
ख)	उधार ली गई निधि-वृद्धि	23.45
	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निधि	<u>68.33</u>
<u>निधियों का उपयोग</u>		
ग)	निवल ब्लाक वृद्धि (चालू कार्य के समायोजन के बाद)	32.02
घ	पूंजी निवेश वृद्धि	0.03
ड0]	पूंजी कृत व्यय वृद्धि	11.55
च)	संचित हानि वृद्धि	145.50
छ)	कार्यशील पूंजी में कमी	
	1. चालू परिसंपत्तियों (58.23) में कमी	
	11. चालू देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि (62.54)	(120.77)
	वर्ष के दौरान निधि व्यय	<u>68.33</u>

6. कार्य-परिणाम

कंपनी के पिछले तीन वर्षों में कार्य परिणाम नीचे दिये गये हैं:-

(रूपये लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
बिक्री	14.12	57.14	83.04
घाटा	15.91	33.04	145.51
बिक्री में घाटे का प्रतिशत	113.00	58	175.00

7.

सामग्री

(रूपये लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
(के अंत में)			
1. कच्चा माल	-	-	0.59
2. स्टोर एवं स्पेअर्स	-	2.07	2.49
3. तैयार माल	11.24	11.86	31.81

	<u>1986-87</u>	<u>1987-88</u>	<u>1988-89</u>
4. खुले औजार	-	0.22	0.18
5. अन्य	-	5.94	14.25
	-----	-----	-----
	11.24	20.09	49.32
	-----	-----	-----

8. विविध कर्ज

पिछले तीन वर्षों में बिक्री के साथ-साथ विविध कर्ज नीचे दिये गये हैं:-

31 मार्च के अंत में	विविध कर्ज		(रूपये लाखों में)		
	वसूली योग्य कर्ज	संदिग्ध कर्ज	योग	बिक्री	बिक्री में वसूली योग्य कर्ज का %
1987	15.75	-	15.75	14.12	112
1988	16.14	4.94	21.08	57.14	28
1989	30.59	13.50	44.09	83.09	37

ह0/

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)

सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न निगम के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि:-

1. हमने वह सभी सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे ।
2. हमारे विचार से और खातों की हमारे द्वारा जांच करने से ऐसा प्रतीत होता है कि निगम के मुख्य कार्यालय ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाते रखे हुए हैं ।
3. रिपोर्टाधीन तुलन पत्र एवं लाभ-हानि लेखे लेखा-खातों के अनुरूप हैं ।
4. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अंतर्गत विनिर्दिष्टता एवं दूसरी कंपनियां (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 1988 के अधीन आवश्यक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषय पर हम एक विवरणी संलग्न कर रहे हैं (अनुलग्नक क) ।
5. हमारे विचार एवं जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अनुलग्नक ख में संलग्न टिप्पणियों एवं उनके साथ पठित लेखे कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना निम्नलिखित के मामले में सही एवं वास्तविक रूप में देते हैं:-
 - क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति का तुलन पत्र ।
 - ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के घाटे का लाभ-हानि लेखा ।

स्थान-गुवाहाटी

ह0/ र0 मट्टा चार्य

दिनांक:-06.08.90

- मोहर -

Faint, illegible text at the top of the page.

First paragraph of faint, illegible text.

Second paragraph of faint, illegible text.

Third paragraph of faint, illegible text.

Fourth paragraph of faint, illegible text.

Fifth paragraph of faint, illegible text.

Sixth paragraph of faint, illegible text.

Seventh paragraph of faint, illegible text.

Eighth paragraph of faint, illegible text.

Ninth paragraph of faint, illegible text.

Tenth paragraph of faint, illegible text.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुलग्नक -क

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लेखों पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के पैरा-4 में उल्लिखित अनुलग्नक:-

1. निगम ने अनन्नास रस सांद्रण संयंत्र नलकटा की स्थायी परिसंपत्तियों एवं मशीनरी को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड रखा हुआ है। लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंध द्वारा वर्ष के अंत में सभी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। कोई गंभीर विसंगतियां नहीं पाई गईं।
2. लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी स्थायी परिसंपत्ति का पूनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।
3. जैसा कि हमें सूचना दी गई है लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान वर्ष के अंत में प्रबंध द्वारा तैयार माल, कच्चे माल, के स्टॉक एवं चालू कार्य का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है और जैसा कि आदेश में कहा गया है समय-समय पर सत्यापन नहीं कराया गया है। स्टॉक रजिस्टर और निर्माण लेखों के उचित ब्यौरों के प्राप्त न होने के कारण प्रबंध से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार को छोड़कर हमारे लिए स्टॉक के मूल्यांकन के बारे में विचार व्यक्त करना कठिन है।
4. हमारे विचार से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370(1-ग) के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध दूसरी पार्टियों, फर्मों या कंपनियों से लिये गये ऋणों पर ब्याज दरें एवं शर्तें कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।
5. जिन पार्टियों को कंपनी द्वारा ऋण और ऋण रूप में अग्रिम दिये गये हैं वे यथा निर्धारित रूप से मूल धनराशि की अदायगी कर रही हैं। ऐसे कुछ अग्रिमों एवं ऋणों पर ब्याज लगाया गया है।
6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार स्टोर की खरीद, कच्चे माल, कंपनी के संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्करों और दूसरी परिसंपत्तियों को देखते हुए कंपनी के आकार और कार्य स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (अनुलग्नक में हमारी अतिरिक्त टिप्पणी भी देखें) है।
7. ऐसी सहायक फर्मों या कंपनियों या दूसरी पार्टियों से वर्ष के दौरान 50,000/-रु० की कीमत से अधिक प्रत्येक किस्म के किसी स्टोर, कच्चे माल या कम्पोनेंट की खरीद नहीं की गई जिसमें निदेशकों का हित हो।
8. जैसा कि प्रबंध द्वारा सूचना दी गई है लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई खराब या क्षतिग्रस्त स्टोर और कच्चा माल नहीं था

9. निगम ने जनता से ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं किया जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58(क) और कंपनी नियमावली (प्राप्ति एवं जमा) 1975 लागू होती हो ।
10. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है निगम के पास कोई महत्वपूर्ण मूल्य का वसूलनीय सहोत्पाद स्क्रैप नहीं है।
11. निगम के पास अर्हता प्राप्त आंतरिक लेखापरीक्षकों की देख-रेख के अंतर्गत एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कार्य के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है ।
12. हमें सूचना दी गई है कि केन्द्र सरकार ने निगम के किसी उत्पाद के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत मूल्य-रख-रखाव रिकार्ड निर्धारित नहीं किया है।
13. निगम संबंधित प्राधिकारियों को भविष्य निधि अंशदान का नियमित रूप से भुगतान करता आ रहा है ।
14. जहाँ तक आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क का संबंध है, सत्यापन के लिये हमें इसका कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः हम इन पर टिप्पणी देने में असमर्थ है ।
15. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमें कर्मचारियों या निदेशकों के ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं मिले जिन्हें राजस्व लेखे में डाला गया हो, केवल करार दायित्वों के अंतर्गत या सामान्य रूप से स्वीकृत कार्य पद्धतियों के अनुसार देय भुगतान इसके अपवाद हैं ।
16. रूग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की उपधारा-3 के अनुच्छेद (ण) के प्रयोजन के अंतर्गत निगम एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं है ।
17. हमें स्टाक रजिस्टर और दूसरा संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया अतः हम फैक्ट्री में सामग्री आदि के प्रसंस्करण एवं खपत के औचित्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं ।

₹0/-

ए0 मद्दाचार्या एण्ड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 -मोहर -
 24.7.91

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लेखों पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के पैरा-5 में उल्लिखित अनुलग्नक:-

1. इम्फाल, दीमापुर बड़ौदा, कलकत्ता और नई दिल्ली से सत्यापन के लिये आवश्यक सूचना, दस्तावेज, खाते और रिकार्ड आदि हमें नहीं दिये गये। कुछ शाखाओं/यूनिटों ने बैंक लेन-देन के बारे में उचित रिकार्ड नहीं रखे हैं। बैंक विवरणियों के आधार पर प्रविष्टियां भेजी गई हैं। कुछ शाखाओं/यूनिटों के मामले में मुख्य कार्यालय को परेप्रेन स्टाक और विस्तृत स्टाक रिकार्ड नहीं भेजा गया है। शाखाओं/यूनिटों से आवश्यक सूचना और ब्यौरे न मिलने के कारण हमने उपलब्ध सूचना एवं प्रमाणों के आधार पर सत्यापन किया है।
2. उपर्युक्त लेखों एवं रिकार्ड के अनुरक्षण के बारे में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। परन्तु बड़ौदा शाखा के लेखों को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्त उत्पादन इंजीनियर से प्राप्त विवरणी और सुगम डेरी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणी के आधार पर शामिल किया गया है।
3. निम्नलिखित शाखाओं के बैंक खातों को खोलने और उनके संचालन का जहां तक प्रश्न है:-
 - क) इंडियन बैंक (डिगबोई, दीमापुर, कलकत्ता शाखा)
 - ख) विजया बैंक, इम्फाल
 - ग) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्लीसे किष्ट गये पत्र-व्यवहार के ब्यौरे हमें नहीं दिये गये हैं। परन्तु लेखों की जांच पर हमें विभिन्न शाखाओं/यूनिटों के बैंक खाते प्राप्त हुए जहां से हमें पता लगा कि एक ही चेक से बड़ी धनराशि निकाली गई है जो बोर्ड के संकल्प का उल्लंघन है।
4. जैसा कि निगम की अंतर्नियमावली में निहित है पूंजीगत व्यय या दूसरे व्यय/भुगतान के मामले में निगम द्वारा भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।
5. कुछ गैर-बागवानी वस्तुओं का निगम द्वारा व्यापार करना निगम के संयंत्र ज्ञापन के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या नहीं इसके बारे में प्रबंध के इस स्पष्टीकरण पर हम अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं कि रेसी लेन-देन/व्यापार निगम के मुख्य उद्देश्यों का अनुसंगिक या सहायक हिस्सा है जो निगम के संयंत्र ज्ञापन के अनुच्छेद 4 के भाग ख के उपअनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है।
6. यद्यपि लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित करने से पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 215 के अंतर्गत अपेक्षानुसार मसौदा तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखों में कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होने

चाहिए, परन्तु यह पाया गया कि इस पर कंपनी सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने हमें बताया कि सचिव काफी लंबे समय से सहयोग नहीं करता आ रहा है और निदेशक बोर्ड ने 2 मई 1990 को आयोजित बोर्ड की 32 वीं बैठक में उनकी सेवायें समाप्त कर दी हैं। जांच केलिये नलकटा और अगरतला के हमारे दौरे की अवधि के दौरान हमने यह पाया कि लेखा परीक्षा को अच्छी तरह से पूरा करना कठिन है क्योंकि इस क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक इस बीच लेखा परीक्षा पार्टी को सूचित किये बिना स्टेशन से बाहर चले गये थे। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रबंधक के अलावा कोई भी व्यक्ति नलकटा और अगरतला में हमारे सत्यापन के लिए स्पष्टीकरण देने और रिकार्ड प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था। जब हमारी लेखा परीक्षा पार्टी वहां थी क्षेत्रीय प्रबंधक अगरतला वापस नहीं आये थे। अतः इन परिस्थितियों में नलकटा फ़ैक्ट्री से संबंधित विभिन्न मामलों को ठीक करने के बारे में टिप्पणी देने में हम असमर्थ हैं।

8. मै0 वल्कान लवल के साथ करार के अनुसार संस्थापित मशीनरी संतरा रस की अच्छी क्वालिटी तैयार कर सकती है। परन्तु हमें बताया गया कि यह मशीनरी संतरा रस तैयार नहीं कर सकती। बोर्ड ने इस बात की पुष्टि करने के लिये इसकी जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या यह संतरा रस का उत्पादन कर सकती है या नहीं। यदि नहीं कर सकती और मामला विवादित बन जाता है तो इसे माध्यस्थ के लिये भेजा जा सकता है। इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

9. अनन्नास रस सांद्रण संयंत्र नलकटा एवं अगरतला

1. नलकटा और अगरतला में खरीद-दिवस खाता, बिक्री-दिवस खाता, देनदार और लेनदार बही खाता उपलब्ध नहीं है।
 2. स्पेअर्स, स्टोर्स के संबंध में खरीद मांग-पत्र जारी नहीं किये गये हैं, मौखिक मांग-आदेशों के आधार पर ही खरीद की गई है।
 3. खरीद और बिक्री नकद आधार पर की गई हैं।
 4. अनेक मामलों में निविदायें (कोटेशन) आमंत्रित नहीं की गई हैं।
 5. पार्टी खाता भी उपलब्ध नहीं है।
10. हमारे ध्यान में यह बात आई है कि भारी धनराशि की मांग के लिये कंपनी के विरुद्ध मामले हैं जिन्हें कंपनी ने सरकारी तौर पर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है अतः उसे लेखों में नहीं दिया गया है। हमारे अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद निगम के विरुद्ध मांग-धनराशि का पता लगाना संभव नहीं हो सका अतः निगम के विरुद्ध दावे की वास्तविक धनराशि की सूचना देने में हम असमर्थ हैं।
11. 343,66,254.21 रुपये के पूंजीकरण के किये बोर्ड का अनुमोदन नहीं लिया गया है और संयंत्र स्थापित कर लिया गया है और सभी शर्तें

एवं करार पूरे कर लिये हैं, यह प्रमाणित करते हुए नलकटा फ़ैक्ट्री को नेरामक के हवाले करने के लिये इंजीनियर की पुस्त/प्रमाण पत्र नहीं किया गया है।

12. 6394,391,06 रुपये के परिचालन पूर्व व्ययों का पूंजीकरण निम्नलिखित रूप में कर दिया गया है:-

फ़ैक्ट्री भवन	24,92,594.06
संयंत्र एवं मशीनरी	39,01,797.00
	<hr/>
	63,94,391.06
	<hr/>

बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

13. कुमारघाट (त्रिपरा) में फल रस सांद्रण संयंत्र की स्थापना के संबंध में वास्तुविद, सिविल एवं संरचना इंजीनियर के कार्य चलाने एवं उन्हें पूरा करने और वास्तुविद, सिविल एवं संरचना निविदा अनुसूची दस्तावेज, निविदा आमंत्रण सूचनाये तैयार करने, निविदाओं की विस्तृत जांच और महानियंत्रक को कार्य देने की सिफारिश करने/सभी महत्वपूर्ण चरणों में कार्य निष्पादन के दौरान समय समय पर पर्यवेक्षण एवं कार्यस्थल का दौरा करने और निगम द्वारा नियुक्त कार्य-इंजीनियर द्वारा सूचित निर्माण, सिविल और संरचना मापों की जांच में सहायता देने, भुगतान के लिये बिलों के सत्यापन और कार्य को समय-समय पर पूरा करने आदि के लिये बोर्ड द्वारा "नीटकों" की नियुक्ति की गई है। परन्तु बिलों/पूंजीकरण/मापन आदि को अंतिम रूप देते समय "नीटको" से बिलों एवं मापन कार्य आदि का आवश्यक प्रमाणन, सत्यापन उचित रूप से नहीं करवाया गया है। जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट है "नीटकों" द्वारा प्रमाणन/बिलों का सत्यापन/मापन आदि न करने को देखते हुए हम नलकटा में तैनात नेरामक के इंजीनियर द्वारा उचित रूप से प्रमाणित बिलों के आधार पर किये गये 79,96,019,82 रुपये के समायोजन पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते।

- 14(क) मै0 वल्कान लवल द्वारा आपूर्ति की गई स्वदेशी मशीनरी के लिये उनके द्वारा की गई 64,787,60 रुपये की मांग हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पार्टी द्वारा मांग की गई राशि 7858,224,40 रुपये और पूंजीकृत राशि 77,93,436,80 रुपये)।

- (ख) जैसाकि हमें बताया गया है मै0 वल्कान लवल द्वारा 110,155,00 रुपये (डेबिट नोट संख्या 3297291 दिनांक 31.8.88) के डेबिट नोट का कोई निपटारा नहीं किया गया है और विलम्बित नकशे प्लान में परिवर्तन, सिविल कार्य एवं भुगतान आदि में विलम्ब के कारण अतिरिक्त लागत के दावे का भी निपटारा नहीं किया गया है। लेखों में इन धनराशियों का प्रावधान नहीं किया गया है।

- (ग) जैसाकि करार में दिखाया गया है मै0 वल्कान लवल द्वारा आपूर्ति की गई 78,00,000.00 रुपये की स्वदेशी मशीनरी संबंधी उनकी समायोजन विवरणी जांच के लिये हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। समायोजन विवरणी से ऐसा प्रतीत होता है कि नेरामक संयंत्र की स्वदेशी मशीनरी और मशीनरी लेखे के लिये

केवल 77,93,436.80 रुपये का पूंजीकरण किया है और 6,563.20 रुपये बकाया छोड़ दिये हैं।

हमारे विचार से यह समायोजित विवरणी किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार और प्रमाणित की जानी चाहिए ताकि खातों में धनराशि का समायोजन किया जा सके। इस स्थिति में हम संयंत्रों एवं मशीनरी के लिये किये गये पूंजीकरण के बारे में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

- (घ) मै० वल्कान लवल के 400,000/-रुपये के संस्थापन प्रभार बिल पर कोई आयकर नहीं काटा गया है (8080.00 रु०)।
- (घ) मै० वल्कान लवल द्वारा की गई अतिरिक्त बुकिंग की धनराशि के कारण संयंत्र एवं मशीनरी के अधीन पूंजीकृत धनराशि 262,940/-रु० है परन्तु मै० वल्कान लवल ने 278,540.00 रुपये की मांग की है। पार्टी द्वारा की गई इस मांग के अन्तर अर्थात् 15600/-रु० के बारे में लेखों में विचार/पूंजीकरण नहीं किया गया है।
- (च) आपूर्ति मशीनरी की आपूर्ति के लिये नेरामक की देनदारी सीमित करते हुए मै० वल्कान लवल को भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि के संबंध में कोई समायोजन लेखों में नहीं किया गया है (क्लीयरेंस की तारीख को 3.20 लाख अमरीकी डालर के बराबर)
15. संबंधित इंजीनियर द्वारा पूंजीकृत वस्तुओं के संबंध में संपूर्ण प्रत्यक्ष सामग्री सूची लागत अडॉटन को तैयार, समायोजित और प्रमाणित नहीं किया गया है।
16. प्रयोगशाला उपकरणों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है।
17. "एयर कंडीशनर" शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकरण में गैस्ट-हाउस में संस्थापित एयर कंडीशनरों की लागत शामिल है।
18. मूल्यहास गणना का कोई हिसाब/ब्यौरा हमें सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसाकि हमें बताया गया है स्थायी परिसंत्तियों की वृद्धि पर संस्थापन की तारीख से मूल्यहास लगाया गया है। पूर्ण हिसाब/ब्यौरों के अभाव में हम टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। परन्तु हमने वर्ष के लिये मूल्यहास की गणना कर ली है जो लेखों में कम लगाये गये 4,339.96 रुपये के अन्तर को प्रदर्शित करता है।
19. एन. बी० सी० सी० के साथ कोई करार नहीं किया गया है। एन. बी० सी० सी० द्वारा सीलिंग से अधिक किये गये कार्य के लिये 35.95 लाख रु० की सीमा के लागत के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। एन. बी० सी० सी० द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के लिये बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता है।
20. भूमि विकास (वृक्षारोपण) को अद्यतन स्थिति तक पूंजीकृत नहीं किया गया है। वृक्षारोपण, योजनाओं आदि के लिये बोर्ड का अनुमोदन नहीं लिया गया है।
21. अगरतला में अखरोट फ़ैक्ट्री के निर्माण के लिये विभिन्न ठेकेदारों/पार्टियों को भुगतान की गई 511,724.57 रुपये की अग्रिम पूंजी/इसके ब्यौरे

- सत्यापन के लिये हमें प्रस्तुत नहीं किये गये ।
22. प्रतिभूति के लिये राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में केन्द्रीय आबकारी विभाग में जमा धनराशि पूंजीनिवेश के रूप में रखी गई है ।
23. नलकटा और अगरतला के मामले में स्टॉक रजिस्टर हमें सत्यापन के लिये नहीं दिये गये ।
24. हमने प्रबंध द्वारा दी गई और प्रमाणित प्रत्यक्ष स्टॉक रिपोर्टों के आधार पर अंतिम स्टॉक का सत्यापन कर लिया है ।
25. स्टॉक रिकार्ड के पूरे ब्यौरे न मिलने के कारण हम तुलन पत्र के साथ संलग्न मात्रात्मक विश्लेषण अनुसूची का सत्यापन करने में असमर्थ हैं ।
26. जैसा कि हमें बताया गया है तीन वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया ऋण हो जाने पर संदिग्ध ऋण के सृजन का प्रावधान किया गया है । संदिग्ध ऋण प्रावधान के लिये बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है । इन पर पार्टियों की पुष्टि/पूर्ण समायोजन उपलब्ध नहीं है । संदिग्ध ऋण के प्रावधान के अंतर्गत खाता ऋणों की अत्यधिक धनराशि दर्ज की गई है और इनमें से अधिकांश सरकारी पार्टियां एवं प्रतिष्ठित प्राइवेट पार्टियां हैं । यह बात समझ में नहीं आई कि ऐसी पार्टियों से धनराशि वसूल करने के कदम क्यों नहीं उठाये गये । इसके अलावा लेखों में ऐसा प्रावधान करने के लिए बोर्ड का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया ।

विवरण	धनराशि
राज्य व्यापार निगम, कल्कत्ता	249,525.00
त्रिपुरा लघु उद्योग निगम, अगरतला	239,407.02
फ़ूटोस स्पण्ड कं०, गुवाहाटी	193,998.72
क्रेजीवाल इंटरप्राइजेज, दिल्ली	173,597.55
रतन एक्सपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली	170,000.00
एसोसिएटेड ब्रीवरेज (प्रा) लि०, गुवाहाटी	161,492.62
हावली कोआपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट, हावली	71,476.92
कृषि निदेशक, त्रिपुरा सरकार	37,427.32
हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	36,200.88
असम बीज निगम	14,519.15
बी० जोसफ, अगरतला	2,551.25
योग रूपये	1350,196.43

27. मै० त्रिपुरा लघु उद्योग निगम (79,326.70 ₹०) और कृषि निदेशक, उलूबाड़ी (2,665.41 ₹०) से पार्टि पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं हैं । उपर्युक्त पार्टि के नाम पर अन्य बकाया राशि संदिग्ध ऋण के रूप में दिखाई गई है जबकि उपर्युक्त धनराशि वसूल होने योग्य धनराशि दिखाई गई है। पार्टि की पुष्टि एवं विस्तृत समायोजन के अभाव में हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते ।

28. परेक्षण बिक्री पर कमीशन उचित रूप से नहीं लगाया गया है, इसके कारण और पूरे ब्यौरे, परेक्षण बिक्री सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
29. नैमित्तिक कर्मचारियों/पार्टियों को भुगतान की गई निम्नलिखित अग्रिम की धनराशि के संबंध में कोई वसूली नहीं की गई है:-

श्री चिम्बो सिंह 10,640.00 ₹0

श्री मालम सिंह 33,915.00 ₹0

30. हमारे सत्यापन के लिये निम्नलिखित पार्टियों से बकाया पुष्टि एवं समायोजन उपलब्ध नहीं है।

उत्तर पूर्वी निगम 15,17,835.27

सहयोगी उद्योग 20,577.10

निदेशक, पशुपालन विभाग खाद्य

मिश्रण संयंत्र, प० त्रिपुरा 10,37,167.66

31. स्टाफ अग्रिम रजिस्टर उचित रूप से नहीं रखा गया है और वर्ष 1989-90 का अग्रिम रजिस्टर अद्यतन नहीं बनाया गया है। कर्मचारियों से अधिक धनराशि काटी गई है और कुछ मामलों में प्रारंभिक शेष शून्य पाया गया है परन्तु वेतन से धनराशि काटी गई है। अग्रिमों के संबंध में कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं है जिसकी जांच और मिलान करने की आवश्यकता है।

32. यह भी पाया गया है कि यात्रा के लिये लिया गया अग्रिम पूरा नहीं किया गया है और कभी-कभी बिना बिल प्रस्तुत किये दुबारा अग्रिम लिया गया है।

33. इन्द्रजीत सिंह 11,000/-रूपये-टी० दिग्गणी सिंह 10,100/-₹0

यह अग्रिम 1987-88 से बकाया हैं, भुगतान के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और अग्रिम की वसूली के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, हमें बताया गया कि यह निगम के नैमित्तिक कर्मचारी थे।

- 34.क) जांच करने पर यह पाया गया कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पहले के बिल प्रस्तुत किये बिना/पहले का अग्रिम पूरा किये बिना यात्रा भत्ता अग्रिम लिया है। प्रत्येक महीने औसतन 100,000/-₹0 या अधिक बकाया धनराशि जमा है (10.2.89 को अधिकतम धनराशि 225,844.42 बकाया थी)। दिनांक 31.3.89 की बकाया धनराशि बाद के महीनों में समायोजित नहीं की गई है।

- ख) रोजनामचा 365 के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद से निकाल कर (डेबिट) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के यात्रा भत्ते में जमा (क्रेडिट) करके 20,000/-₹0 की धनराशि का समायोजन किया गया है। हमारे सत्यापन के लिये विस्तृत बिल और प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि हमें बताया गया है इसका समायोजन पूर्वोत्तर परिषद द्वारा दो डिस्पेंसरों की आपूर्ति के लिये किया गया है जिसके लिये देय धनराशि का भुगतान करने हेतु धनराशि पहले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निकाली गई थी।

इन दो डिस्पेंसरों को स्थायी परिसंपत्तियों में भी नहीं लिया गया है

यद्यपि डिस्परों की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है जिसके फलस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों का कम आकलन, मूल्यहास एवं लाभ-हानि लेखे में कम प्रभार लगाया गया है ।

- ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के यात्रा भत्ता बिलों की जांच करते हुए यह देखा गया है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भोजन एवं आवास सहित वास्तविक कुल व्यय की धनराशि लेने की अनुमति दी गई थी । चूंकि निगम ने अपनी यात्रा भत्ता नियमावली या लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र की कोई प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं कीं अतः हम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के भोजन संबंधी बिलों की स्वीकार्यता का सत्यापन नहीं कर सके । निगम द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ उसकी नियुक्ति के संबंध में किये गये करार-विलेख को भी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया ।
35. विज्ञापन के लिये मै० जयकारा सडवरटाइजिंग मार्केटिंग, नई दिल्ली को 4000,000/-रु० के भुगतान के संबंध में बिल, करार और दूसरे संबंधित रिकार्ड भी हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे ।
36. क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला और अनन्नास रस सांद्रण संयंत्र, नलकटा के मामले में अग्रिम बहीखाता सही ढंग से नहीं रखा गया है । वहां कोई नियंत्रण एवं सह संबंध नहीं है ।
37. पुस्तकें भेजने के लिये अग्रिम के रूप में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया को, 184.00 रु०, इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया को 290.00 रु०, औरियंटल लॉ हाउस को 70.00 रु० का भुगतान किया गया है परन्तु यह बताया गया है कि वी० पी० पार्सल से प्राप्त पुस्तकों का मूल्य समायोजित कर दिया गया है और बकाया को अग्रिम के रूप में दिखाया गया है । दिये गये आदेश के ब्यौरे, प्राप्त पुस्तकों, बिलों और वी० पी० पार्सलों के मुखपृष्ठ संबंधी ब्यौरे हमारे सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं हैं । बकाया की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है ।
38. नलकटा और अगरतला की जमा राशियों को विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है ।
39. हमारे सत्यापन के लिये निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं ।
 1.) मै० सौभाग्य सडवरटाइजिंग सर्वेसी को 368,430/-रुपये (करार, किये गये कार्य के ब्यौरे, बिल आदि उपलब्ध नहीं) का अग्रिम ।
 1.1.) मै० गौतम स्पण्ड कं० को 10,000/-रु० का अग्रिम (संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं) ।
 1.1.1.) मै० करम चेररा (करार, पार्टी का सत्यापन बिल आदि उपलब्ध नहीं) ।
40. अनन्नास उगाने एवं संग्रह करने के लिये कितान समिति को अग्रिम का भुगतान किया गया परन्तु सत्यापन के लिये पार्टी की पुष्टि उपलब्ध नहीं है । प्रमाणों के अभाव में हम इस पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं ।
41. मै० मणिपुर स्पेक्स को आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को 16995/-रुपये

परीक्षण आधार पर निपटान के लिये उत्पादकों/पार्टियों से प्राप्त किये गये अदरख से संबंधित बिल का भुगतान /पत्राचार, डाकेट वाउचरों से ऐसा प्रतीत होता है कि नेरामक को अदरख की आपूर्ति के लिए उत्पादकों/पार्टियों द्वारा कोई बिल नहीं दिए गये हैं। परन्तु निपटान के लिए आगे "नैफेड" को भेजने हेतु मात्रा को स्टॉक में लिया गया है।

42. नैफेड से प्राप्त बाजरा के बिक्री कागजातों में 38000.00 रुपये जमा किये गये जिसका स्टॉक रिकार्ड करार, बिल आदि हमारे सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
43. मै0 सिन्थ्रम लेबोरेटरीज को 367.36 रुपये की गंजनी की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं काटा गया है और इसके लिये कोई प्रावधान या जमा नहीं किया गया है।
44. हमें स्पष्टीकरण दिया गया कि परीक्षण चालन आधार पर निपटान के लिये क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता (नेरामक) द्वारा एक ट्रक संतरे कलकत्ता लाये गये। जैसी कि सूचना दी गई नेरामक द्वारा शर्त करार आदि विनिर्दिष्ट करते हुए परेक के साथ कोई करार नहीं किया गया।
45. मै0 वल्कान लवल के सामने 23656.20 रुपये का बकाया (क्रेडिट) (धारण धनराशि) दिखाया गया है परन्तु वल्कान लवल को नेरामक द्वारा भेजी गई समायोजन विवरणी (पत्र सं०) जे० सी० पी०/५/८५ सी० एल० दिनांक ९.८.८८) में बकाया धनराशि 24245.77 (डेबिट) रुपये दिखाई गई है अर्थात् अधिक भुगतान दिखाया गया है। इस प्रकार 47901.97 रुपये के अंतर के बारे में हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हमारे सत्यापन के लिये वल्कान लवल से बकाया की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं थी।
46. नीटको के साथ करार के अनुसार प्रतिधारण धनराशि का 10% उनके बिल से काटा जाना था। उनके बिल के अनुसार (दूसरा अर 0 ए० बिल दिनांक 20.1.87) 15,137.00 रुपये प्रतिधारण धनराशि के रूप में होने चाहिए परन्तु देयता लेखे में 16,786.24 रुपये दिखाये गये हैं। अतः 1,649.24 रुपये के अंतर को हमें स्पष्ट नहीं किया गया।
47. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से 2345,561/-रु० का नकद ऋण।

हमारे सत्यापन के लिये नकद ऋण संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं हैं। पूरे विस्तृत दस्तावेजों के अभाव में हम प्रतिभूति, लगाये गये ब्याज और दूसरे कानूनी एवं कंपनी कानूनों की अपेक्षाओं के बारे में कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

48. सरकारी ऋणों पर ब्याज-97,84,000.00 रु०

नेरामक ने वर्ष के दौरान 4512,672/-रु० की ब्याज देयता पूरी की है परन्तु हमारे सत्यापन के लिये मंत्रालय से मांग पत्र या पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति में हम जमा ब्याज और देय/जमा ब्याज, परन्तु बकाया नहीं, के बारे में प्रदत्त देयता पर टिप्पणी करने

में असमर्थ हैं। परन्तु निगम ने अगस्त, 1989 में जारी सरकारी पत्र द्वारा मार्ग के आधार पर यह प्रदान किया है।

49. सौभाग्य एडवरटाइजिंग एजेंसी-रूपये 1043051.03

(अन्तर राजस्व- व्यय)

- I.) विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों के समर्थन में डुप्लीकेट बिलों/पेपर कटिंग के आधार पर बिलों का समायोजन किया गया है। मूल उपलब्ध नहीं है।
- II.) संबंधित अधिकारी द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि पार्टी द्वारा यह कार्य किया गया है बिलों को प्रमाणित नहीं किया गया है।
- III.) हमारे सत्यापन के लिये कौटेशन, करार आदि उपलब्ध नहीं है।
- IV.) उचित प्राधिकारी से विज्ञापन दरों का अनुमोदन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

50. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान-170,000/-रु0

सत्यापन के लिये कोई बिल रसीदें उपलब्ध नहीं हैं।

51. 740,606.86 रूपये के उद्घाटन व्यय के ब्यौरे हमारे सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
52. परेषण रजिस्टर, परेषण बिक्री रोजनामचा, खरीद रोजनामचा, स्टॉक बुक आदि हमारे सत्यापन के लिये नहीं दिये गये। हमें बताया गया कि परेषण बिक्री इम्फाल में की जाती है। पूर्ण ब्यौरों के अभाव में हम 8,942.54 रु0 की आय के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
53. निगम की गाड़ियों के संबंध में लॉग बुक रखी जाती हैं परन्तु रजिस्टर को अपूर्ण पाया गया और कुछ मामलों में लॉग-बुक में संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तथा गाड़ी के उपयोग का प्रयोजन और कुछ मामलों में ड्राइवर के हस्ताक्षर भी पूरे नहीं पाये गये।
54. विद्युत व्यय में 7,300 रु0 दो वैक्यूमक्लीनर्स की कीमत शामिल है।
55. जैसा कि हमें बताया गया है राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को विमानपत्तन स्टाल के बिक्री-कागजातों के 20% की दर से बिक्री कमीशन दिया जाता है परन्तु राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ करार को हमारे समक्ष सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया।
56. जैसा कि हमें बताया गया भारतीय जीवन बीमा निगम की मार्ग पर उनके पत्र 10,000/-रु0 जमा कराये गये हैं। यह सूचना दी गई है कि ग्रेच्युटी के लिये व्यक्तिगत कर्मचारी के अंशदान की अभी तक जीवन बीमा निगम द्वारा निगम को सूचना नहीं दी गई है यद्यपि ग्रेच्युटी स्कीम अक्टूबर, 1984 में आरंभ की गई थी परन्तु निगम ने न्यास बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। निगम ने आयकर आयुक्त से अपेक्षानुसार अनुमति लेने के लिये भी कोई कदम नहीं उठाये।

57. नियति संवर्धन व्यय में "पाइन ऐप" एवं रस सांद्रण की नियति-संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में रूसी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा एवं यहां ठहरने पर हुआ 68,832.50/-रूपये का व्यय शामिल है।
58. पुस्तक एवं पत्रिका पंजीर्या उचित रूप से नहीं रखी गई हैं और वी0 पी0 पी0 से प्राप्त पुस्तकों के विस्तृत ब्यौरे एवं वी0 पी0 पी0 कवर नोट्स हमारे सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं थे।
59. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठी के संबंध में टैक्सी एवं होटल किराये के लिये भारतीय तेल निगम को भुगतान किये गये 30,138.00 रूपये संगोष्ठी एवं सम्मेलन व्यय में शामिल हैं।
60. प्रवर्तन व्यय में "पाइन ऐप" आरंभ करने के लिये अशोक होटल, नई दिल्ली में किया गया 22,567.30 रूपये का व्यय शामिल है।
61. 174,324.24 रूपये के बिक्री कर के संबंध में संबंधित मूल्यांकन रिकार्ड सत्यापन के लिये हमें प्रस्तुत नहीं किया गया अतः हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते।
62. उत्पादन दर निवेश एवं उत्पादन के संबंध में भुगतान किये गये उत्पादन शुल्क और मांग किये गये "माडवेट" के ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं और सत्यापन के लिये हमें नहीं दिये गये।
63. मै0 तिरुपति ट्रांसपोर्ट सर्विस द्वारा परिवहन के मामले में करार, कोटेशन एवं दूसरे प्रमाण सत्यापन के लिये हमें नहीं दिये गये।
64. बैंक से ब्याज नकद लिया गया।
65. गाड़ी की बिक्री से 21,389.38 रूपये की धनराशि नकद प्राप्त की गई, चेक के द्वारा यह धनराशि क्यों नहीं ली गई इसका हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
66. वर्ष के दौरान निगम ने विज्ञापन परामर्श शुल्क आदि के लिये 1453657.89 रूपये की धनराशि खर्च की। यह संपूर्ण धनराशि लाभ-हानि लेखे के नामे डाली गई है जिसमें से केवल 20% लेख परीक्षाधीन वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई है। हमें खर्च की गई धनराशि एवं लेखे में बट्टे खाते डाली गई धनराशि किसी के लिये भी बोर्ड का अनुमोदन नहीं दिखाया गया।
- यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लेखा परीक्षा बड़ी मुश्किल से पूरी की गई है क्योंकि प्रबंध का सहयोग विशेषकर लाभदायक सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में पर्याप्त नहीं था। इसका कारण यह है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टेशन से बाहर हैं, वित्तीय सलाहकार एवं कंपनी सचिव की सेवायें हमारी लेखा परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन बाद ही समाप्त कर दी गई थीं। एकमात्र उपलब्ध अधिकारी वरिष्ठ लेखा प्रबंधक हैं जो अनेक मामलों में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें उपलब्ध एवं प्रस्तुत किये गये रिकार्ड एवं

सूचना से ही लेखा परीक्षा पूरी करनी पड़ी ।

ह0/ ए0 भट्टाचार्या एण्ड कंपनी

मोहर

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी 1988-89 की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिये गये निष्कर्षों पर प्रबंध के उत्तर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पैरा संख्या

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" का पैरा १।१

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंधित पैरा का उद्धरण

निगम ने अनन्नास रस सांद्रण संयंत्र नलकटा की स्थायी परिसंपत्तियों एवं मशीनरी को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखा हुआ है। लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंध द्वारा वर्ष के अंत में सभी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। कोई गंभीर विसंगतियां नहीं पाई गईं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (i)

लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी स्थायी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

कोई टिप्पणियां नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (iii)

जैसी कि हमें सूचना दी गई है लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान वर्ष के अंत में प्रबंध द्वारा तैयार माल, कच्चे माल के स्टॉक एवं चालू कार्य का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है। और जैसा कि आदेशों में कहा गया है समय समय पर सत्यापन नहीं कराया गया है। स्टॉक रजिस्टर और निर्माण लेखों के उचित ब्यौरों के प्राप्त न होने के कारण प्रबंध से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार को छोड़कर हमारे लिए स्टॉक के मूल्यांकन के बारे में विचार व्यक्त करना कठिन है।

प्रबंध का उत्तर

परिसंपत्ति रजिस्टर रखा जा रहा है। और सत्यापन के लिये उपलब्ध है।

नोट कर लिया गया है, भविष्य में समय समय पर सत्यापन किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर एवं विस्तृत निर्माण लेखों सत्यापन के लिये उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (IV)

हमारे विचार से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370 (1-ग) के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध दूसरी पार्टियों, फर्मों या कंपनियों से लिये गये ऋणों पर ब्याज दरें एवं शर्तें कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (V)

बिन पार्टियों को कम्पनी द्वारा ऋण और ऋण रूप में अग्रिम दिये गये हैं वे यथा निर्धारित रूप से मूल धनराशि की अदायगी कर रही हैं। ऐसे कुछ अग्रिमों एवं ऋणों पर ब्याज लगाया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (VI)

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार स्टोर की खरीद, कच्चे माल, कम्पनी के संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरणों और दूसरी परिसंपत्तियों को देखते हुए कम्पनी के आकार और कार्य स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आतिरिक नियंत्रण प्रणाली (अनुलग्नक में हमारी अतिरिक्त टिप्पणी भी देखें) है।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (VII)

ऐसी सहायक फर्मों या कंपनियों या दूसरी पार्टियों से वर्ष के दौरान 30,000/- रुपये की कीमत से अधिक प्रत्येक किस्म के किसी स्टोर, कच्चे माल या कम्पोनेंट की खरीद नहीं की गई जिसमें निदेशकों का हित हो।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (VIII)

ऐसी कि प्रबंध द्वारा सूचना दी गई है लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के पास कोई खराब या क्षतिग्रस्त स्टोर और कच्चा माल नहीं था।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (CIX)

निगम ने जनता से ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं किया जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 (क) और कंपनी नियमावली (प्राप्ति एवं जमा) 1975 लागू होती हो।

कोई टिप्पणियाँ नहीं

अनुलग्नक "क" का पैरा (X)

जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है निगम के पास कोई महत्वपूर्ण मूल्य का वसूलीय सहोत्पाद या स्क्रैप नहीं है।

कोई टिप्पणियाँ नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (XI)

निगम के पास अर्हता प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षकों की देख-रेख के अंतर्गत एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कार्य के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

कोई टिप्पणियाँ नहीं

अनुलग्नक "क" का पैरा (XII)

हमें सूचना दी गई है कि केन्द्र सरकार ने निगम के किसी उत्पाद के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत मूल्य- रख-रखाव रिकॉर्ड निर्धारित नहीं किया है।

कोई टिप्पणियाँ नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (XIII)

निगम संबंधित प्राधिकारियों को भविष्य निधि अंशदान का नियमित रूप से भुगतान करता आ रहा है।

कोई टिप्पणियाँ नहीं

अनुलग्नक "क" का पैरा (XIV)

जहाँ तक आयकर, बिछी कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क का संबंध है, सत्यापन के लिये हमें इसका कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः हम इन पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

सत्यापन के लिये संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (XV)

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान हमें कर्मचारियों या निदेशकों के ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं मिले जिन्हें राजस्व लेख में डाला गया हो, केवल करार दायित्वों के अंतर्गत या सामान्य रूप से स्वीकृत कार्य पद्धतियों के अनुसार देय भुगतान इसके अपवाद हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (XVI)

रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की उपधारा-3 के अनुच्छेद (ण) के प्रयोजन के अंतर्गत निगम एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं है।

कोई टिप्पणियाँ नहीं।

अनुलग्नक "क" का पैरा (XVII)

हमें स्टाक रजिस्टर और दूसरा संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया अतः हम फैंसूरी में सामग्री आदि के प्रसस्करण एवं खपत के औचित्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

स्टाक रजिस्टर एवं संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है और सत्यापन के लिये उपलब्ध है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी 1988-89 की रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियों पर प्रबन्धन के उत्तर

प्रबन्धन का उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का पैरा सं.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 1 और 2

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंधित पैरे का सार

इम्फाल, दीमापुर, बड़ोदा, कलकत्ता और नई दिल्ली से आवश्यक सूचना, दस्तावेज, बहियाँ और रिकॉर्ड इत्यादि सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं किए गये। कुछ शाखाओं/यूनिटों ने बैंक लेन-देन के संबंध में यथोचित रिकॉर्ड नहीं रखे हैं। बैंक विवरणियों के आधार पर प्रविष्टियाँ की गयी हैं। कुछ शाखाओं/यूनिटों के मामले में भेजे गये माल सहित विस्तृत स्टॉक रिकॉर्ड मुख्यालय को नहीं भेजे गये हैं। शाखाओं/यूनिटों से आवश्यक सूचना और ब्यौरों के अभाव में हमने उपलब्ध सूचना और प्रमाणों के आधार पर सत्यापन किया है।

जैसा कि उपर बताया गया है रिकॉर्डों और लेखों के रखरखाव के बारे में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। परन्तु उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम द्वारा भेजे गये प्रोडक्सन इंजीनियर से प्राप्त विवरण और सुगम डेरी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर बड़ोदा शाखा के लेखों को समाविष्ट कर लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 3

जहाँ तक निम्नलिखित शाखाओं में बैंक खाते खोले जाने और उनके संचालन का संबंध है।

- क. इंडियन बैंक (डिगबोई, दीमापुर, कलकत्ता शाखाएं)
- ख. विजया बैंक, इम्फाल
- ग. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली।

उपर्युक्त बैंकों के साथ किए गये पत्र व्यवहार का ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। परन्तु लेखा समीक्षा करने पर हमने विभिन्न शाखाओं/यूनिटों के बैंक खातों को देखा और यह पाया कि बोर्ड के संकल्प का उल्लंघन करते हुए इन खातों से एक ही चेक द्वारा बड़ी राशि निकाली गयी है।

यद्यपि इम्फाल, दीमापुर, बड़ोदा कलकत्ता और नई दिल्ली कार्यालयों के कार्य विकेन्द्रीकृत हैं फिर भी ये कार्यालय लेन-देन के परिमाण के अनुरूप लेखा-बहियाँ और अपने लेन-देन के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज एवं रिकॉर्ड रख रहे हैं। ये कार्यालय अपनी लेखा-बहियों के आधार पर तैयार किए गये मासिक लेखा विवरण, वाउचरों के साथ मुख्यालय को भेज रहे हैं। मुख्यालय उनके लेखा विवरण के आधार पर उन्हें अपनी बहियों में समाविष्ट करता है। सभी यूनिट/शाखा कार्यालय बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड रख रहे हैं और हर महीने मुख्यालय को बैंक समाशोधन विवरण भेज रहे हैं। यूनिट/शाखा कार्यालय द्वारा मुख्यालय को स्टॉक विवरण भी भेजा जाता है। सभी संबद्ध दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

संभवतः तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि व्यापार के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता है, एक ही चेक द्वारा बैंकों से धन राशि निकाली गयी थी।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 4

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 5

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 6 ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 7

निगम के संगम नियमों में जैसा कि निहित है, निगम द्वारा पूंजीगत व्यय या अन्य व्यय/भुगतान के संबंध में भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

क्या निगम द्वारा कुछ गैर-बागवानी मदों में लेन-देन/व्यापार निगम के संगम ज्ञापन के विषयगत अनुच्छेद में कवर होते हैं, क्योंकि हम प्रबन्धन के इस स्पष्टीकरण पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं कि ऐसे लेन-देन/व्यापार निगम के मुख्य विषयों के आनुषंगिक विषय हैं अतः निगम के संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद 24 के भाग क और ख के अन्तर्गत कवर होते हैं ।

यद्यपि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 215 की अपेक्षानुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन से निदेशक मण्डल द्वारा प्रमाणित किए जाने से पहले प्रारूप तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए किन्तु यह नोट किया जाता है कि इन कागजातों को कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा हमें बताया गया कि कम्पनी सचिव द्वारा काफी अर्थ से सहयोग नहीं किया जा रहा था और निदेशक मण्डल ने 2 मई, 1990 को हुई 32वीं बोर्ड बैठक में सचिव की सेवायें समाप्त कर दी ।

जांच के लिए हमारे नलकटा और अगरतला दौरे के समय हमें लेखा परीक्षा कार्य यथास्थित रूप से पूरा करने में कठिनाई महसूस हुई क्योंकि इस क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक लेखा परीक्षा दल को बताए बिना लेखा परीक्षा के दौरान स्टेशन से बाहर चले गये । इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय प्रबन्धक के अलावा कोई भी नलकटा और अगरतला में हमारे द्वारा सत्यापन के लिए स्पष्टीकरण देने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था । क्षेत्रीय प्रबन्धक तब तक अगरतला नहीं लौटे जब तक हमारी लेखा परीक्षा पार्टी वहां मौजूद रही । अतः हम ऐसी परिस्थितियों में नलकटा फेक्ट्री से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुधार करने के लिए कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

यद्यपि बोर्ड ने अनुमोदन कर दिया है और भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है ।

नोट किया गया । निगम के विषय संबंधी अनुच्छेद की पुनः जांच की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किया जायेगा ।

कोई टिप्पणी नहीं ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक अगरतला को कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगरतला से जाना पड़ा था । लेखा प्रबन्धक और अन्य लेखा कार्मिक वहां मौजूद थे । लेखा कार्मिक वहां मौजूद थे । लेखा परीक्षकों को सत्यापन के लिए सभी रिकॉर्ड/रजिस्टर दिखाये गये थे । जहां तक फल रस सांद्रण संयंत्र नलकटा का संबंध है, क्षेत्रीय प्रबन्धक की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी क्योंकि परियोजना कार्य से उसका कोई संबंध नहीं है ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 8

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 9

में. बुलकन लाभल के साथ हुए करार के अनुसार संस्थापित मशीनरी संतरे के अच्छे किस्म के रस का उत्पादन कर सकती है। जैसा कि हमें बताया गया यह मशीनरी संतरे का रस तैयार नहीं कर सकती है। बोर्ड ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या यह संतरे का रस तैयार कर सकती है अथवा नहीं, इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। यदि नहीं तो यह विवाद का विषय बनता है और इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

फल रस सोंद्रण संयंत्र नलकटा और अगरतला

1. दैनिक खरीद बढी, दैनिक बिक्री बढी, देनदार और लेनदार का लेजर नलकटा और अगरतला में उपलब्ध नहीं है।
2. स्पेयर्स, स्टोर्स के संबंध में खरीद मांग जारी नहीं की गई है, खरीद केवल मौखिक मांग आदेशों के आधार पर की गयी है।
3. खरीद और बिक्री नकद आधार पर की गयी हैं।
4. बहुत से मामलों में कोटेशन आमंत्रित नहीं किये गये हैं।
5. पार्टि लेजर भी उपलब्ध नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की गयी और विधिवत् जांच करने के पश्चात् दिनांक 13.12.1991 के पत्र सं. 3/16/87 के तहत निगम को सलाह दी गयी थी कि वह पार्टि को बैंक गारंटी रिलीज कर दे।

1. खरीद/बिक्री बढी, लेनदार और देनदार लेजर अब निरीक्षण के लिए नलकटा और अगरतला में उपलब्ध हैं।
2. अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है
3. खरीद और बिक्री अपेक्षानुसार नकद और उधार दोनों आधारों पर की गयी थी।
4. नोट कर लिया गया। छोटी राशि की खरीद के लिए लिखित कोटेशन नहीं मंगायें गये थे। परन्तु बड़ी खरीदों के लिए निविदायें आमंत्रित की गयीं।
5. पार्टि लेजर रखा जाता है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 10

दमें ज्ञात हुआ है कि कम्पनी के खिलाफ ऐसे मामले हैं जिनमें भारी धनराशि का दावा किया गया है जिसे कम्पनी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करती अतः लेखों में कर्ज का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे भारतक प्रयत्नों के बावजूद भी निगम के खिलाफ किए गये दावों की राशि का पता नहीं चल सका अतः हम निगम के खिलाफ किए गये दावों की सही राशि के बारे में रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 11 और 12

343,66,254.21 रुपये के पूंजीकरण के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है और यह प्रमाणित करते हुए कि संयंत्र संस्थापित कर दिया गया है एवं सभी शर्तों और करार पूरे कर लिए गये हैं, नलकटा फैक्ट्री को नेरामक को हस्तांतरित करने के लिए इंजीनियर की पुष्टि/प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

63,94,391.06 रुपये के प्रचालन पूर्व व्यय का पूंजीकरण इस प्रकार किया गया है :-

फैक्ट्री भवन	24,92,594.06
संयंत्र और मशीनरी	39,01,797.00
	<hr/>
	63,94,391.06

बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 13

बोर्ड द्वारा कुमारघाट (त्रिपुरा) में फल रस सान्द्रण संयंत्र की स्थापना के लिए आर्किटेक्ट, सिविल एवं संरचनात्मक इंजीनियर के कार्य करने के लिए और आर्किटेक्चरल, सिविल एवं संरचनात्मक निविदा दस्तावेज तैयार करने, टेंडरों आमंत्रित करने हेतु नोटिस तैयार करने, टेंडर आमंत्रित करने, टेंडर की विस्तृत समीक्षा करने और ठेकेदार को कार्य सौंपने के लिए सिफारिश करने, सामान्य/आवधिक पर्यवेक्षण तथा निर्माण की सभी महत्वपूर्ण अवस्थाओं के दौरान निर्माण स्थल का दौरा करने

पार्टी द्वारा किए गये दावों और निगम द्वारा किए गये प्रतिदावों से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज लेखा परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किए गये थे। निगम द्वारा कर्ज के रूप में स्वीकार न किए गये दावों को अनुच्छेद 19 की अनुसूची 18 में दर्शाया गया है जैसी की कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के अन्तर्गत अपेक्षा है।

यह राशि पिछले वर्ष में पूंजी कार्यों की प्रगति के रूप में दर्शाये गये व्यय से संबंधित है और इसमें वर्ष के दौरान भी कुछ वृद्धि हुई है जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस वर्ष के लेखों को स्वीकार करते समय किया गया है।

यह राशि पिछले वर्ष में पूंजी कार्यों की प्रगति के रूप में दर्शाये गये व्यय से संबंधित है और इसमें वर्ष के दौरान भी कुछ वृद्धि हुई है जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस वर्ष के लेखों को स्वीकार करते समय किया गया है।

प्रारंभ में कुछ बिलों की जांच "नेटको" द्वारा की गयी थी किंतु बाद में निगम ने त्रिपुरा सरकार के एक इंजीनियर को प्रतिनियुक्ति पर रखा जिसने बिलों का प्रमाणन एवं सत्यापन किया और तदनुसार परियोजना के तात्कालिक कार्यान्वयन के लिए बिलों का निपटान/समयोजन किया गया था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 14

एवं निगम द्वारा कार्य स्थल पर नियुक्त इंजीनियर द्वारा रिपोर्ट की गयी आडिटिवरल, सिविल एवं संरचनात्मक पैमाइशों की जांच में सहायता करने और भुगतान के लिए बिलों का सत्यापन एवं कार्य को समय पर पूरा करने के लिए "नेटको" को नियुक्त किया गया है। किन्तु बिल/पंजीकरण/पैमाइश इत्यादि को अंतिम रूप से तैय करते समय "नेटको" द्वारा आवश्यक प्रमाणन, बिलों और माप कार्य इत्यादि का सत्यापन उचित रूप से नहीं किया गया है। "नेटको" द्वारा जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट है, बिलों/पैमाइशों आदि का सत्यापन/प्रमाणन न किये जाने को मध्यनजर रखते हुए हम नलकटा में तैनात नेरामक इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित बिलों के आधार पर किस गये 79,96,019.82 रुपये के समायोजन पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

क. मैं. बुलकान लावल द्वारा स्वदेशी मशीनरी की सप्लाई के लिए मांगी 64,787.60 रुपये की कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पार्टी द्वारा मांगी गयी राशि 78,58,224.40 और पूंजीबद्ध राशि 77,93,436.80 रुपये।

ख. जैसा कि हमें बताया गया है मैं. बुलकान लावल द्वारा प्रस्तुत किये गये 110,155.00 रुपये के ऋण नोट ऋण नोट सं. 3297291 दिनांक 31.8.88 के तहत कोई निपटान नहीं किया गया है और ले आउट में परिवर्तन से हुए विलम्ब, सिविल कार्य जिनके लिए भुगतान किया जाना है आदि की वजह से अतिरिक्त लागत के लिए मांग का भी निपटान नहीं किया गया है और इन राशियों की व्यवस्था लेखे में भी नहीं की गयी है।

ग. मैं. बुलकान लावल के समाधान विवरण जो उनके द्वारा सप्लाई की गयी स्वदेशी मशीनरी से संबंधित हैं और जो 78,00,000.00 रुपये की राशि का है जैसा कि करार में उल्लिखित है, जांच के लिए हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। समाधान विवरण से यह पता चलता है कि नेरामक ने संयंत्र एवं मशीनरी लेखा में स्वदेशी मशीनरी के लिए केवल 77,93,436.80 रुपये का

पूँजीकरण किया है और 6,563.20 रुपये की राशि शेष छोड़ दी गयी है।

हमारी राय में बहियों में इस राशि का समायोजन कार्य आसान करने के लिए समाधान विवरण किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार और प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए हम संयंत्र और मशीनरी में किए गये पूँजीकरण के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

घ. में. बुलकान लावल के स्थापना प्रभार के 400,000/- रुपये के बिल में से कोई आयकरकी कटौती नहीं की गयी है। ₹8080.00 रुपये

ड. में. बुलकान लावल द्वारा किए गये अतिरिक्त कार्य के लिए संयंत्र और मशीनरी के अन्तर्गत पूँजी में परिवर्तित राशि 262,940/- रुपये है किन्तु में. बुलकान लावल ने 278,540.00 रुपये की राशि का दावा किया है। पार्टी द्वारा प्रस्तुत 15,600 रुपये के अन्तर पर लेखों में विचार/पूँजीकरण नहीं किया गया है।

च. नेरामक कीदियताओं को सीमित करने के लिए मैं 0 बुलकान लावल को आयतित मशीनरी की सप्लाई के लिए किए गये अधिक भुगतान के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया। स्विकृति की तारीख को 3.20 लाख अमरीकी डालर के बराबर है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 15

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 16

पार्टी के लेखों का अब अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है।

अब कर दिया गया है।

नोट कर लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 17

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 18

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 19

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 20

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 21

एयर कन्डीशनर शील्ड के अन्तर्गत पूंजीकरण में अतिथिगृह में लगाये गये एयर कन्डीशनर की कीमत भी शामिल है।

मूल्यढ्वास गणना की क्रियाविधि/ब्यौरे हमें सत्यापन के लिए नहीं किस गये। जैसा कि हमें बताया गया कि नियत परिसंपत्तियां बढ़ाने पर संस्थापना की तारीख से मूल्यढ्वास प्रभारित किया गया है। समूची क्रियाविधि/ब्यौरे के अभाव में हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। परन्तु हमने वर्ष के लिए मूल्यढ्वास की गणना की है जिसमें 4,339.96 रुपये के अन्तर को लेखों में कम लगाया गया है।

एन.बी.सी.सी से कोई करार नहीं किया गया है, एन.बी.सी.सी. द्वारा सीमा से अधिक किए गये 35*95 लाख रुपये के अतिरिक्त कार्य के लिए लागत के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता थी। एन.बी.सी.सी द्वारा किए गये अतिरिक्त कार्य के लिए बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है।

भूमि विकास (वृक्षारोपण) का अद्यतन रूप से पूंजीकरण नहीं किया गया है। वृक्षारोपण योजना इत्यादि के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

अगरतला में काज फेक्ट्री के निर्माण के लिए विभिन्न ठेकेदारों/पार्टियों को 511,724.57 रुपये की अग्रिम पूंजी राशि दी गयी थी जिसका ब्यौरा सत्यापन के लिए हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया।

कोई टिप्पणी नहीं।

मूल्यढ्वास पर कम्पनी संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार मूल्यढ्वास की व्यवस्था की गयी है।

बोर्ड ने पहले ही 359.95 रुपये के संशोधित लागत प्राक्कलनों का अनुमोदन 25.8.87 को हुई बोर्ड की 23वीं बैठक में कर दिया था जिसमें एन.बी.सी.सी द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य भी शामिल था।

लेखा परीक्षक को यह स्पष्टीकरण दिया गया कि परीक्षण के तौर पर वृक्षारोपण के प्रयोजन से भूमि का एक छोटा हिस्सा विकसित किया गया था और इसके बाद उसे छोड़ दिया गया अतः व्यय का पूंजीकरण नहीं किया गया।

अग्रिम के रूप में दी गयी पूंजी से संबंधित विस्तृत लेखा सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 22

केन्द्रीय उत्पाद विभाग में प्रतिभूति के तहत राष्ट्रीय बचत पत्र के
रूप में जमा की गयी राशि को निवेश के रूप में रखा गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 23

नलकटा और अगरतला के मामले में स्टाक रजिस्टर सत्यापन के लिए
हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किए गये।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 24

प्रबन्धन द्वारा ली गयी और प्रमाणित मौक्तिक स्टाक रिपोर्टों के
आधार पर हमने अंतिम स्टाक का सत्यापन किया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 25

स्टॉक रिकार्डों के सम्पूर्ण ब्यौरों के अभाव में हम तुलन पत्र के साथ
संलग्न तालिका के मात्रात्मक विश्लेषण का सत्यापन करने में असमर्थ
हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 26

जैसा कि हमें बताया गया संदेहास्पद श्रणों को उनके 3 वर्ष से अधिक अवधि
तक बकाया रहने पर अकलित किया गया है। संदेह का प्रावधान
बनाने के लिए बोर्ड का अनुमोदन नहीं लिया गया है। इन पर पार्टी
की पुष्टि/पूर्ण समाधान उपलब्ध नहीं हैं। संदेहास्पद श्रणों के
प्रावधान के अन्तर्गत बड़ी राशि को बही में दर्शाया गया है जिसमें से
अधिकांश पार्टियाँ सरकारी पार्टियाँ और जानी-मानी निजी पार्टियाँ हैं
अतः यह समझ में नहीं आता कि ऐसी पार्टियों से राशि की वसूली
के लिए कदम क्यों नहीं उठाये गये हैं। लेखा में ऐसा प्रावधान
करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

नलकटा और अगरतला के स्टाक रजिस्टर
सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

कोई टिप्पणी नहीं।

विस्तृत स्टाक रिकार्ड सत्यापन के लिए उपलब्ध
हैं।

4,94,341.63 रुपये की राशि के लिए
संदेहास्पद श्रण हेतु प्रावधान करने के लिए बोर्ड
का अनुमोदन 26.8.88 में हुई बोर्ड की बैठक में
प्राप्त किया गया था। 4,94,341.63 रुपये
की राशि में से 5,836.40 रुपये देनदारों से
वसूल कर लिए गये थे। 8,61,691.20 रुपये
के लिए संदेहास्पद श्रण का प्रावधान करने हेतु
बोर्ड का अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है।
परन्तु 8,61,691.20 रुपये में से निगम ने
3,85,350.00 रुपये अब तक वसूल कर लिए हैं
और 4,76,341.20 रुपये की राशि बकाया रह
गयी है।

ब्यौरा

राशि

राज्य व्यापार निगम कलकत्ता
त्रिपुरा लघु उद्योग निगम अगरतला
फुवटोस एण्ड कम्पनी गुवाहाटी
फ्रेजीवाल इन्टर प्राईजेज, दिल्ली
रतन एक्सपोर्ट लिमिटेड
एसोसिएटेड बैबरेज ४ प्रा० लि०, गुवाहाटी
होले को-आपरेटिव प्रोसेसिंग युनिट होले
निदेशक कृषि त्रिपुरा सरकार
हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई
असम बीज निगम
बी. जोसेफ, अगरतला

249,525.00
239,407.02
193,998.72
173,597.55
170,000.00
161,492.62
71,476.92
37,427.32
36,200.88
14,519.15
2,551.25

योग रूपये

1350,196.43

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 27

मै० त्रिपुरा लघु उद्योग निगम (79,326.70 रुपये) और निदेशक
कृषि, उलुबड़ी (2,665.41 रुपये) से पार्टी परिपुष्टियां उपलब्ध नहीं हैं ।
उक्त पार्टी के नाम पर दूसरी बकाया राशियों को संदेहास्पद दर्शाया गया है
जबकि उपर्युक्त राशि को अनुकूल दर्शाया गया है । पार्टी की परिपुष्टि और
विस्तृत समाधान के अभाव में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
के अनुलग्नक "ख" का पैरा 28

परेषण बिफ्री पर कमीशन उचित रूप से अधिरोपित नहीं किया गया, इसके
कारण और परेषण बिफ्री पर करार एवं सम्पूर्ण ब्यौरे सत्यापन के लिए
उपलब्ध नहीं हैं ।

लेखा परीक्षकों को समाधान विवरण
देनदारों की स्थिति नोट के साथ सत्यापन
के लिए लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किया
गया था ।

निगम ने पार्टी को बकाया की पुष्टि के लिए
पत्र लिखा था किन्तु पार्टी ने जवाब नहीं
दिया । त्रिपुरा लघु उद्योग निगम से ली
जाने वाली 79,326.70 रुपये की राशि
को अब नेरामक को सामग्री की आपूर्ति के
तहत समायोजित कर लिया गया है ।
निदेशक कृषि, उलुबड़ी से 2665.41 रुपये
की राशि वसूल करने के लिए पहले ही कदम
उठाये गये हैं ।

लेखों में अधिरोपित कमीशन के पूरे ब्यौरे
सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 29.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 30

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 31

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 32

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 33

नैमित्तिक कर्मचारियों/पार्टियों को दी गयी निम्नलिखित अग्रिम राशि की वसूली नहीं की गयी है।

श्री श्याम्बो सिंह 10,640.00 रुपये
श्री वैम सिंह 33,915.00 रुपये.

निम्नलिखित पार्टियों के साथ बकाया की परिपुष्टि और समाधान हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

नार्थ ईस्ट कोर्पोरेशन, नई दिल्ली 15,17,835.27 रुपये
एलाइड उद्योग 20,577.10 रुपये
निदेशक पशुपालन खाद्य संयंत्र, पश्चिमी त्रिपुरा 10,37,167.66 रुपये

स्टाफ अग्रिम रजिस्टर समूचित रूप से नहीं रखा गया है और वर्ष 1989-90 का अग्रिम रजिस्टर अद्यतन नहीं किया गया है। स्ट्राफ से अधिक राशि वसूली गयी है। कुछ मामलों में प्रारंभिक शेष शून्य है किन्तु वेतन से कटौती की गयी है। अग्रिमों के मामले में कोई आन्तरिक नियंत्रण नहीं है जिनकी फिर से छानबीन और समाधान करने की आवश्यकता है।

यह भी देखा गया कि यात्रा के लिए लिया गया अग्रिम परी तरह नहीं सुलझाये गये हैं और कभी कभार बिल प्रस्तुत किए बिना फिर से अग्रिम लिया गया है।

इन्दरजीत सिंह 11,000/- रुपये, टी, डिगमोनी सिंह 10,100/ रुपये

ये अग्रिम 1987-88 से बकाया हैं। भगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है और अग्रिम वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। जैसा कि हमें बताया गया है ये निगम के अनियतकर्मचारी थे।

अब समायोजित/वसूल करनी गयी है।

एन.ई.सी और निदेशक पशुपालन खाद्य मिश्रण संयंत्र, पश्चिमी त्रिपुरा से अब राशि वसूल कर ली गयी है। एलाइड उद्योग से राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

स्टाफ अग्रिम रजिस्टर उचित रूप से रखा जाता है। 1989-90 का अग्रिम रजिस्टर अद्यतन है।

कार्रवाई के लिए नोट किया गया।

अब वसूल/समायोजित कर लिये गये थे।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार अनुलग्नक "ख" के पैरा 34

क. जांच-पड़ताल करने पर हमने पाया कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने पहले के बिल प्रस्तुत किये बिना/पहले के अग्रिम सुनिश्चित किए बिना यात्रा-भत्ता अग्रिम लिया है। प्रत्येक माह में 100,000/- रुपये या इससे अधिक बकाया की राशि है (दिनांक 10.2.89 को अधिकतम बकाया राशि 225,844.42 रुपये हैं), 31.3.89 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि को परवर्ती महीनों में अभी तक समायोजित नहीं किया गया है।

क. अब समायोजित कर ली गयी है।

ख. दैनिकी 365 के अनुसार 20,000/- रुपये की राशि समायोजित की गयी है जिसे उत्तर पूर्वी निगम के नाम डाला गया है और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के यात्रा भत्ता अग्रिम में जमा किया गया है। विस्तृत बिल और प्रमाण हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया यह समायोजन एन.ई.सी. द्वारा दो डिस्पेंसर सप्लाई किए जाने के तहत किया गया है जिसके लिए देय राशि अदा करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा राशि आहरित की गयी थी। इन दो डिस्पेंसरों को नियत परिसंपत्तियों में भी नहीं लिया गया है यद्यपि डिस्पेंसरों की पहले से ही सप्लाई की जा रही है जिसके कारण नियत परिसंपत्तियों का विवरण कम हो गया है, मूल्यव्यय एवं लाभ तथा हानि लेखा में भी कम रकम लगायी गयी।

ख. आवश्यक समायोजित किया जायेगा।

ग. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के यात्रा भत्ता बिलों की जांच करते समय यह देखा गया है कि उन्हें खान-पान एवं आवास सहित सभी खर्चों के आहरण की मंजूरी दी गयी थी। चूंकि निगम ने अपने यात्रा भत्ता नियमों, बी.पी.ई. परिपत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए अतः हम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के खान-पान के बिलों की ग्राह्यता को सत्यापित नहीं कर सके। निगम द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के साथ उनकी नियुक्ति के संबंध में किए गये करार का दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग. कोई टिप्पणी नहीं। स्थिति की बौद्धि द्वारा समीक्षा की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो यात्रा को बी.पी.ई.ई/सरकारी मार्ग निर्देशों एवं ऐसे ही अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के यूनितों की सीमाओं के अनुरूप लाने के लिए यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन किया जायेगा।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 35

विज्ञापनों के लिए मै0 जयकारा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, नई दिल्ली
को किए गये 400,000/- रुपये के भुगतान के बारे में बिल, करार
एवं अन्य प्राथमिक दस्तावेजों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

4.00 लाख रुपये की राशि अग्रिम के रूप में
मै0 जयकारा एडवर्टाइजिंग एण्ड
मार्केटिंग, नई दिल्ली को पाइनस्प की शुरुआत
करने के लिए, दिल्ली और इसके आस-पास
महत्वपूर्ण इलाकों में होर्डिंग्स लगाने के लिए
31-3-89 को दी गयी थी। पार्टी ने लेखा
वर्ष 1989-90 को दौरान यह कार्य किया।
बिलों का समायोजन वर्ष 1989-90 के
लेखांकन के दौरान किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 36

क्षेत्रीय कार्यालय अगतरत्ना और फल रस सान्द्रण
संबंध में अग्रिम लेजर उचित रूप से नहीं रखा गया है। कोई नियंत्रण
एवं परस्पर संबंध इनमें नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अगतरत्ना और फल रस
सान्द्रण संयंत्र नलकटा के अग्रिम लेजर सामान्य
लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार रखे गये हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 37

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 184.00 रुपये भारतीय कम्पनी
सचिव संस्थान 290.00 रुपये, अरियन्टल ला हाउस 70.00 रुपये।

सभी किताबें जिनके लिए आदेश दिए गये थे
और जिनके लिए अग्रिम दिया गया था, प्राप्त
हो चुके हैं।

किताबों की आपूर्ति के लिए दिए गये अग्रिमों के बारे में यह बताया
गया कि वी.पी.पी. द्वारा प्राप्त की गयी किताबों में इन्हें समायोजित
किया गया है और शेष राशि को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।
दिए गये आदेशों का ब्यौरा, प्राप्त किताबों का ब्यौरा, बिल और
वी.पी.पी. पार्लों के प्रावरण नोट इत्यादि हमारे द्वारा संस्थान के
लिए उपलब्ध नहीं हैं। शेष राशि की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 38

नलकटा और अगतरत्ना की जमा राशियों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता
है।

नोट कर लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 39

निम्नलिखित दस्तावेज हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं -

1. मै0 सौभाग्य एडवरटाइजिंग एजेंसी को दिया गया 368,430/- रुपये का अग्रिम (करार, किए गये कार्य का ब्यौरा, बिल इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं)
2. मै0 गौतम एण्ड कम्पनी को दिए गए 10,000/- रुपये का अग्रिम (संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं)
3. मै0 करम चैरा (करार, पार्टी द्वारा फुल्टि के बिल आदि उपलब्ध नहीं हैं)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 40

अनानास उगाने और एकत्र करने के लिए किसान सोसाइटीको दिए अग्रिम के मामले में पार्टी की परिपुष्टि उपलब्ध नहीं है। परिपुष्टि के अभाव में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के
अनुलग्नक "ख" का पैरा 41

मै0 मणिपुर, अपैक्स कौ-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी
16,995/- रुपये

उत्पादकों से अदरक सीधे परेषण आधार पर प्राप्त किया गया था। उत्पादकों से पावती रसीदें प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें भुगतान कर दिया गया है।

पारेषण आधार पर निपटान के लिए उत्पादकों/पार्टियों से प्राप्त अदरक से संबंधित बिलों के भुगतान के बारे में पत्राचार और डाकेट वाउचरों से यह प्रतीत होता है कि उत्पादकों/पार्टियों द्वारा नेरामक को की गयी अदरक की सप्लाई के लिए बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। परन्तु अदरक की मात्रा को नाफेड को निपटान के लिए भेजने हेतु स्टॉक में ले लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 42

नेफेड से प्राप्त बाजरे की बिक्री से प्राप्त 38,000/- रुपये जिसके लिए स्टॉक में रिफंडिटे का करार बिल इत्यादि हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

यह बिक्री परेक्षण आधार पर है। प्रासंगिक बिक्री विवरण सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 43

मै0 श्यामनाथ प्रयोगशाला के बेचे गये गंजनी तेल के लिए 367.36 रुपये का बिक्री कर नहीं काटा गया है और इसके लिए कोई प्रावधान अथवा निक्षेप भी नहीं किया गया है।

नोट किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 44

जैसा कि हमें बताया गया नेरामक के कलकत्ता प्रादेशिक कार्यालय द्वारा एक द्रुम संतरा परीक्षण के आधार पर बिक्री के लिए लाया गया। जैसा कि बताया गया नेरामक द्वारा प्रेषित की साथ शर्तों, करार इत्यादि का विनिर्दिष्टन करते हुए कोई अनुबन्ध नहीं किया गया।

चूंकि हम केवल एक ही परेक्षण परीक्षण के आधार पर निपटान के लिए प्रादेशिक कार्यालय कलकत्ता लाये थे अतः इस सौदे के लिए कोई अनुबंध नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 45

मै0 तुलकान लावल के नाम पर दर्शाया गया बकाया 23,656.20 ₹.सी.आर. ₹ रुपये (रोकी गयी राशि) है किन्तु नेरामक के दिनांक 9.8.88 के पत्र में एफ जेसीपी/5/85-सी एल के तहत तुलकान लावल को भेजे गये समाधान विवरण में 24,245.77 ₹.डी.आर. ₹ अर्थात् खर्च अदायगी के रूप में दर्शाये गये हैं। 47,091.97 के अन्तर को हमारे सम्मुख स्पष्ट नहीं किया जा सका। तुलकान लावल से शेष राशि की पुष्टि भी हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है।

अब अंतिम समाधान कर लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 46

नेट्टो के साथ फिर गये करार के अनुसार रोकी जाने वाली राशि का 10% उनके बिल से काटी जानी थी। उनके बिल के अनुसार (दूसरा चल बिल दिनांक 20.1.87) 15,137.00 रुपये रोकी जाने वाली राशि होनी चाहिए थी किन्तु देयता खाते में 16,786.24 रुपये दर्शाये गये हैं। 1,649.24 रुपये के अन्तर का हमें स्पष्टीकरण नहीं मिला।

नोट कर लिया गया। समाधान के बाद आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 47

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से रोकड़ा उधार 23,45,561/- रुपये

रोकड़ा उधार संबंधी दस्तावेज हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं पूरे विस्तृत दस्तावेजों के अभाव में हम प्रतिभूति, प्रभारित ब्याज एवं अन्य कानूनी तथा कम्पनी कानून अपेक्षाओं के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

रोकड़ा उधार के बारे में संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि इन्हें पूर्व एफ.ए.सी.एस द्वारा निजी तौर पर अपने पास रखा गया था। परन्तु बैंक से अनुलिपि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 48

सरकारी ऋण 97,84,000/- रुपये पर ब्याज

नेरामक ने वर्ष के दौरान 45,12,672/- रुपये की ब्याज देयता का प्रावधान किया है। किन्तु मांग पत्र अथवा मंत्रालय से परिपुष्टि हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है। पूरे बयारों के अभाव में हम संशयित और देय ब्याज/संशयित किन्तु अभीदेय नहीं ब्याज के बारे में देयता की व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। निगम ने सरकार द्वारा की गयी अगस्त 1989 में जारी पत्र के तहत मांग के आधार पर इसकी व्यवस्था की है।

मंत्रालय से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर ब्याज देयता की व्यवस्था की गयी थी।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 49

सौभाग्य रडवटाइजिंग सर्वेसी 10,43,051.03 रुपये (आस्थापित राजस्व व्यय

1. बिलों का समायोजन अनुलिपि बिलों के आधार पर किया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों इत्यादि में दिए गये विज्ञापनों के प्रमाण के रूप में अखबार की कतर्नें उपलब्ध नहीं हैं।
2. बिलों का प्रमाणन संबंधित अधिकारी द्वारा यह बताया हुआ कि पार्टी द्वारा काम कर दिया गया है, नहीं किया गया है।
3. कोटेशन, करार इत्यादि हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
4. उपयुक्त प्राधिकारी से विज्ञापन की दरों का अनुमोदन हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

इस मामले को पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा खुद देखा गया था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 50

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान 170,000/- रुपये

सत्यापन के लिए कोई बिल, रसीदें आदि उपलब्ध नहीं हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 51.

740,606.86 रुपये के उद्घाटन व्यय के ब्यौरे हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 52

परोक्षण रजिस्टर, परोक्षण बिक्री दैनिक बही, खरीद दैनिक बटे, स्टाक बही इत्यादि सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जैसा कि हमें बताया गया परोक्षण बिक्री इम्फाल में की जाती है। पूर्ण विवरण के अभाव में हम 8,942.54 रुपये की आय के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 53.

निगम के वाहनों के संबंध में लोग बुक रखी गयीं हैं किन्तु इन्हें अपूर्ण पाया गया है। कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारी द्वारा लोग बुकों को उचित रूप से हस्ताक्षरित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है और कुछ मामलों में वाहन के इस्तेमाल का प्रयोजन और ड्राइवर के हस्ताक्षर भी अधूरे पाये गये हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" का पैरा 54

बिजली के खर्च में तो चैकबुक क्लीनरों की कीमत 7,300 रुपये शामिल की गयी है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को भुगतान रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया गया था। संस्थान की रसीदें सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं।

फल रस सान्द्रण संयंत्र नलकड़ा के उद्घाटन व्यय का ब्यौरा सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

रजिस्टर सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं।

अब रखे जा रहे हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 55

जैसा कि हमें बताया गया हवाई अड्डों के स्टालों पर बिक्री कार्यों के लिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को 20% की दर से बिक्री पर कमीशन दिया जाता है किंतु राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ किया गया करार सत्यापन के लिए हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया।

करार की एक प्रति सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 56

ग्रेच्युटी 10,000/- रुपये। जैसा कि हमें बताया गया 10,000/- रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम में, उनके द्वारा की गयी मॉग के अनुसार जमा किये गये हैं। यह बताया गया है कि ग्रेच्युटी के कर्मधारियों के खुद के अंशदान के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना नहीं दी है जबकि ग्रेच्युटी स्कीम/1984 में लागू की गयी थी निगम ने एक ट्रस्ट बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। निगम ने जैसा कि अपेक्षित है आर्थिक कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाये

आयकर कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करने और नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित ट्रस्ट की स्थापना करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

/अक्टूबर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 57

68,832.50 रुपये के निर्यात बढ़ाने के खर्च में पाइन्सप और रस सान्द्रण के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में रूसी प्रतिनिधियों की यात्रा और उनके ठहरने के लिए किया गया खर्च शामिल है।

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 58

पुस्तकों और पत्रिकाओं का रजिस्टर उचित रूप से नहीं रखा जाता है और वी.पी.पी द्वारा प्राप्त पुस्तकों के वी.पी.पी कवर टिप्पणियां हमारे द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

अनुपालन के लिए नोट किया गया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 59.

सेमिनार और सम्मेलन खर्चों में इंडियन आयल कॉर्पोरेशन को, अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा किए गये सेमिनार के संबंध में टैक्सी के भाड़े और होटल के प्रभारों के लिए अदा किए गये 30,138/- रुपये शामिल हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 60

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 61.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 62

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 63

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 64

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 65.

पाइन्सप की बाजार में बिक्री की शुरुआत के व्यय 22,567.30 रुपये में हीटल अग्रीका, नई दिल्ली में पाइन्सप की शुरुआत करने से संबंधित खर्च भी शामिल है।

174,324.24 रुपये के बिक्री कर के संबंध में प्रासंगिक निर्धारण रिकॉर्ड सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

अदा किए गये उत्पाद शुल्क और उत्पाद दर निवेशों तथा उत्पादन के संबंध में माइवेट की मांग तैयार नहीं की गयी और हमारे सम्मुख सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी।

परिवहन के संबंध में 10 तिरुपति ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्री के साथ करार, कोटेशन और अन्य प्रमाण सत्यापन के लिए हमें प्रदान नहीं किए गये।

बैंक से ब्याज नकद लिया गया।

वाहन की बिक्री करने पर प्राप्त की गयी 21,389.38 रुपये की नकद प्राप्त राशि। यह राशि चेक के माध्यम से प्राप्त न होने का कारण हमें नहीं बताया गया।

कोई टिप्पणी नहीं।

प्रासंगिक निर्धारण रिकॉर्ड सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं।

अब तैयार कर नी गयी है।

परिवहन कार्य कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश के आधार पर किया गया था।

यह ब्याज बचत बैंक खाते की छोटी ब्याज राशि है। इस खाते को अब बन्द कर दिया गया है।

अनुपालन के लिए नोट किया

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुलग्नक "ख" का पैरा 66.

वर्ष के दौरान निगम ने विज्ञापन, परामर्श प्रभार आदि के लिए 14,53,657.89 रुपये खर्च किए हैं। यह समूची राशि लाभ और हानि खाते में डाली गयी है जिसमें से केवल 20% राशि लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गयी है। खर्च की गयी राशि अथवा लेखा में बट्टेखाते डाली गये राशि के बारे में हमने बोर्ड के किसी अनुमोदन को नहीं देखा।

वर्ष के दौरान लेखों को स्वीकार करते समय बोर्ड ने अब अनुमोदन कर दिया है।

यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि लेखा परीक्षा कार्य अत्यधिक कठिनाई से पूरा किया गया क्योंकि प्रबन्धन का सहयोग विशेषतया उपयोगी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में अपर्याप्त रहा। इसका कारण यह है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मुख्यालय से बाहर हैं, वित्तीय सलाहकार सह कम्पनी सचिव की सेवायें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा आरंभ करते ही समाप्त कर दी गयी हैं। वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक ही एक मात्र उपलब्ध अधिकारी हैं जो बहुत से मामलों के बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उपलब्ध सूचना और रिकॉर्डों से जोकि हमें प्रस्तुत किए गये, लेखा परीक्षा कार्य पूरा करना पड़ा।

1988-89

लेखों

का

विवरण



10

10

31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

ता.दि. 31-3-1989 को 31-3-1988 को

निधि के स्रोत

1.	शेयर होल्डरों की निधि			
	(क) शेयर पूंजी	244,00,000.00	244,00,000.00	
	(ख) संवित और अधिशेष	<u>5,21,025.50</u>	<u>5,21,025.50</u>	249,21,025.50
2.	अप्रतिभूत ऋण			
				<u>376,16,561.00</u>
				<u>625,37,586.50</u>

निधि का विनियोग

1. नियत परिसंपत्तियाँ :

	सकल ब्यांक	16,25,669.52		
	घाटा : मूल्याह्रास	<u>50,65,525.76</u>		
				<u>10,47,513.02</u>

2. निवेश लेखा (उत्पाद शुल्क विभाग के पास धरोहर के रूप में रखे गये राष्ट्रीय बचत पत्रों की लागत पर)

3.	प्रगति पर पूंजी कार्य, मण्डार अग्रिम और आर्बिट्रि पूर्व-स्वत्वलय व्यय।			
4.	वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
	(क) आवधिक जमा से उत्पन्न ब्याज			82,809.64
	(ख) अपजारों का नुकसान			20,09,426.89
	(ग) माल सूची			16,13,677.38
	(घ) विविध ऋण कर्ता			134,47,925.02
	(ङ) रोकड़ एवं बैंक में जमा बकाया			<u>11,34,139.61</u>
	(च) ऋण और अग्रिम			182,87,978.54

वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को घटाकर

24,03,508.20 78,87,215.70 114,46,936.07

5. विविध व्यय

(बढ़ते खाते में न डाले गये अथवा समायोजित न किए गये की सीमा तक)

(1) प्रारंभिक व्यय	78,974.50	78,974.50	
घाटा: बढ़ते खाते में डाला गया	<u>55,282.15</u>	<u>47,384.70</u>	
(2) अस्थगित राजस्व व्यय	14,53,657.89	31,589.80	
घाटा: बढ़ते खाते में डाला गया	<u>2,90,731.00</u>	-	
(3) लाभ और हानि लेखा में से अग्रणीत शेष			
	<u>202,36,317.50</u>	<u>56,85,815.88</u>	57,17,405.68
			<u>516,76,025.50</u>

योग रू०

625,37,586.50

=====

नोट : लेखा 18 में नोट किया गया तालिका 1 से 18 तुलन पत्र के अभिन्न अंग है

ड० एवं मोहर
(एल. रंजन)
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ड० एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

हमारी इसी तारीख की अलग रिपोर्ट के अधीन हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

नेरामक लिमिटेड

31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

तालिका

31.3.1988 को

	31.3.1989 को	31.3.1988 को
1. आय:		
1. बिक्री	80,71,156.57	57,13,505.97
2. अन्य आय	2,32,377.17	11,22,926.93
व्यय :	83,03,533.74	68,36,512.90
3. सामग्री एवं निर्माण व्यय	77,24,132.57	51,51,897.56
4. कार्मिक	22,22,957.34	11,38,651.88
5. बिक्री, वितरण, प्रशासन और अन्य व्यय	26,41,567.79	16,56,700.50
6. ब्याज	45,12,672.00	15,17,340.00
7. बढूटे खाते में डाले गये प्रारंभिक व्यय	7,897.45	7,897.45
8. बढूटे खाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय		
9. मूल्य ह्रास	2,90,731.00	-
10. संयुक्त उद्यम में हानि	45,62,825.10	1,23,867.85
11. वर्ष के लिए व्यय जोड़ कर	<u>219,62,783.25</u>	<u>5,637.57</u>
12. संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	8,55,854.80	96,01,992.81
13. अवधि पूर्व समायोजन	35,397.31	4,94,341.63
14. कराधान से पहले हानि	228,54,035.36	44,547.29
15. पिछले वर्ष से अग्रणीत बकाया घाटा	140,50,501.62	33,04,368.83
16. तुलन पत्र में लिया गया कुल घाटा	56,85,815.88	23,81,447.05
लेखा-18 पर टिप्पणियाँ	202,36,317.50	56,85,815.88

स्थान : गुवाहाटी
तारीख: 6.8.90

ह0एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

हमारी इसी तारीख की अलग रिपोर्ट के अधीन हस्ताक्षरित
ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी एण्ड कम्पनी
सन्दी लेखाकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

तालिका - 1

31.3.1989 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में तालिका

	1988-89	1987-88
<u>प्राधिकृत शीयर पूंजी :</u>		
1000/- रुपये के प्रत्येक 50,000 इक्विटी शीयर	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
<u>जारी और अंशदान प्राप्त :</u>		
1000/- रुपये के प्रत्येक 24,400 इक्विटी शीयर	2,44,00,000.00	2,44,00,000.00
	2,44,00,000.00	2,44,00,000.00

तालिका-2

<u>आराक्षत और अधिप्राप्त :</u>		
विकास निधि (पिछले तुलन पत्र के अनुसार)	5,21,025.50	5,21,025.50
	5,21,025.50	5,21,025.50

तालिका-3

<u>असुनिश्चित ऋण :</u>		
1. सरकारी ऋण (1986-87 एवं 1987-88 के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गयी स्कीम/कार्यक्रमों पर व्यय)	2,56,00,000.00	2,56,00,000.00
2. उपार्जित और देय ब्याज	96,72,000.00	11,55,000.00
3. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, गुवाहाटी शाखा से नकद उधार	23,44,561.00	-
	3,76,16,561.00	2,67,55,000.00

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
र.भट्टाचार्यजी सण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

4 001

10 3 20

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषिविपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

तालिका-5

31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में तालिका प्रगति पर पूंजी कार्य, स्टोर, अग्रिम एवं आर्बिट्रि किस गये प्रचलन पूर्व खर्च

	1988-89	1987-88
क. भूमि विकास (वृक्षारोपण)		
ख. प्रगति पर पूंजी कार्य	48,121.50	15,909.50
1. संयंत्र/मशीनरी	-	-
2. लिबिल निर्माण कार्य (प्रशासनिक भवन)	-	1,57,86,087.91
3. अन्य अवर्गकृत	14,93,482.47	1,07,16,642.83
ग. पूंजी स्टोर	14,93,482.47	2,74,66,912.29
घ. नियत परिसंपत्तियों, प्रगति पर पूंजी कार्य के लिए आर्बिट्रि प्रचलन पूर्व खर्च	3,50,179.66	5,08,184.96
अग्रणीत शेष	-	-
1. यात्रा भत्ता	-	13,32,520.05
2. परामर्श शुल्क	-	92,554.60
	-	54,900.00

₹0 एवं मोडर
ए.भट्टाचायजी स्पण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

3. वेतन एवं भत्ते
4. मजदूरी
5. वाहन रखरखाव
6. मुद्रण एवं लेखन सामग्री
7. डाक एवं तार खर्च
8. पुस्तकें एवं पत्रिकाएं
9. किराया
10. विविध खर्च
11. मनोरंजन व्यय
12. ब्याज
13. बैंक प्रभार
14. माल भाड़ा
15. पी सी एल
16. विज्ञापन
17. कर्मचारी कल्याण
18. लाइसेंस शुल्क
19. समयोपरि भत्ता
20. साक्षात्कार व्यय
21. फेक्ट्ररी को परीक्षण के तौर पर
चलाने के लिए अनानास
22. सुरक्षा उपकरण
23. लेखा मैनुअल
24. बीमा
25. अस्थाई हटमैट्स

4,07,071.60
25,826.44
34,459.63
5,100.97
221.90
289.40
8,568.48
3,999.98
5,680.15
13,74,000.00
26.00
3,05,474.64
1,24,755.98
1,41,240.00
500.00
1,631.00
8,242.65
4,956.08
90,509.97
7,343.00
15,000.00
1,93,358.00
2,297.00

₹0 एवं मोहर

ए.भट्टाचार्यजी एण्ड कम्पनी

26. उपभोग योग्य स्टोर		1,03,904.46		
27. सेमिनार एवं सम्मेलन		7,150.00		
28. मूल्य-ढूस		61,034.00		
29. अन्य		<u>27,757.00</u>		
प्रगति पर पूंजीकार्य को अंतरित राशि घटाकर				54,40,372.98
अग्रिम पूंजी (सी पी डब्ल्यू) (जिसे शोध्य समझा गया है ।)	5,11,724.57			
क) कार्यकारी इंजीनियर				
पी.डब्ल्यू डी को अग्रिम	-		92,791.09	<u>32,791.00</u>
		5,11,724.57		
		24,03,508.20		<u>334,64,170.73</u>
				=====

ह0 एवं मोहर	ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी एण्ड कम्पनी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
सन्दी लेखाकार	नेरामक लिमिटेड

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड,
गुवाहाटी

अनुसूची-6

31.3.89 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

	1988-89	1987-88
क. स्टोर्स एवं स्वेअर्स (लागत पर)	-	-
ख. खुले औजार (लागत पर)	-	22,447.87
ग. प्रयोग शाला उपस्कर(लागत पर)	-	2,225.60
घ. पैकिंग सामग्री स्टॉक(लागत पर)	14,24,550.60	5,92,489.42
ङ. कच्चे माल का स्टॉक(लागत पर)	58,823.00	-
च. तैयार माल का स्टॉक "	31,81,502.50	11,85,688.77
छ. स्टोर्स एवं स्वेअर्स का स्टॉक	2,48,608.06	2,06,575.23
	<u>49,13,484.16</u>	<u>20,09,426.89</u>

टिप्पणी:-

- क) तैयार माल के स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर किया गया है और प्रबंध द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया गया है ।
- ख) अन्य सामग्रियों का स्टॉक(तैयार माल को छोड़कर) का मूल्य लागत पर किया गया है और प्रबंध द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया गया है ।

ह0/ निदेशक

ह0/

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-7

31.3.89 की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र की अनुसूची

विविध देनदार	1988-89	1987-88
क. अप्रतिभूतित, वसूली योग्य		
I) 6 माह से अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम अवधि से बकाया ऋण	1,15,906.13	1,29,855.10
II) एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम अवधि से बकाया ऋण ।	79,326.70	17,928.61
III) दो वर्ष से अधिक समय से बकाया ऋण	-	8,73,859.20
IV) अन्य ऋण-अप्रतिभूतित वसूली योग्य	28,63,680.21	5,92,034.47
ख. अप्रति भूतित वसूल न हो सकने योग्य 1350,196.43	4,94,341.63	
घटायें-संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1350,196.43	4,94,341.63	
योग: ₹0	30,58,913.04	16,13,677.38

ह0/ निदेशक

ह0/

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-8

31.3.89 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

नकद एवं बैंक बकाया		1988-89	1987-88
क.	हाथ में नकद बकाया:		
	नकद एवं चेक, हाथ में (मु0का0)	165.00	3,82,372.19
	अग्रिम नकद	13,091.48	3,278.37
	शाखा/संयंत्र/यूनिटों में नकद	23,141.41	13,064.04
	डाक टिकटें हाथ में	390.10	193.60
	ट्रांजिट नकद/ड्राफ्ट	2,76,000.00	-
ख.	अनुसूचित बैंक में बकाया:		
क)	भारतीय स्टेट बैंक नई गुवाहाटी शाखा-चालू लेखा	85,451.39	63,915.67
	अगरतला शाखा, त्रिपुरा- बचत बैंक खाता	2,159.26	17,13,856.64
	दकुरिया शाखा, कलकत्ता बचत बैंक खाता	-	1,23,616.73
	बोरझर शाखा, गुवाहाटी चालू लेखा	16,339.05	1,48,336.05
	कुमारघाट शाखा, त्रिपुरा चालू खाता	1,512.08	81,285.84
	कुमारघाट शाखा, त्रिपुरा आवधिक जमा खाता	-	9,22,243.39
ख)	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, अगरतला		490.00
	चालू खाता	490.00	2,366.40
	तदेव	125.15	
ग)	इंडियन बैंक फैंसी बाजार शाखा, अल्पकालिक जमा	-	89,06,400.00
	डिग्बोई शाखा, चालू खाता	61,966.60	2,58,421.45
	शिलांग शाखा, चालू खाता	-	41,861.00
	दीप्तापुर शाखा, चालू खाता	4,774.70	4,774.70
	कलकत्ता शाखा, चालू खाता	10,392.29	5,39,555.61
	फैंसी बाजार शाखा, चालू खाता	5,639.38	66,667.51
घ)	विजया बैंक इम्फाल शाखा, चालू खाता	26,099.69	75,225.83
ड.)	इम्फाल शाखा अल्पकालिक जमा	-	1,00,000.00
च)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पानबाजार शाखा गुवाहाटी आवधिक जमा खाता	5,00,000.00	-
	नई दिल्ली शाखा चालू खाता	3,73,656.00	-
	योग रू0	14,01,397.57	134,47,925.02

ह0/निदेशक

ह0/

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0/स.भट्टाचार्य

चार्टर्ड एकाउंटेंट

-63-

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-9

31.3.93 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

श्रण एवं अग्रिम :	1988-89	1987-88
(प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिये नकद या अन्य रूप में वसूलनीय)		
क. अप्रतिभूतित वसूली योग्य		
1. अग्रिम	23,20,192.08	6,06,744.57
2. सी.एम.डी. केलिये 65,847.04 रु० सहित यात्रा भत्ता अग्रिम	2,33,183.92	1,02,090.60
3. स्टाफ को अग्रिम	27,930.00	43,626.00
4. जमा	1,56,641.75	1,32,141.75
5. बैंक उचंत	641.34	6,641.34
6. निगम कर के लिये अग्रिम भुगतान 52859.00		
- कर के लिये प्रावधान 52859.00		
7. निगम कर भुगतान (संशोधनाधीन)	1,67,800.00	1,67,800.00
8. गाड़ियों के लिये बीमा दावा	-	75,095.35
9. पूर्व-प्रदत्त व्यय	1,30,291.00	-
10. आबकारी विभाग में बकाया अप्रतिभूतित संदिग्ध 214646.22	36,304.79	-
घटायें-संदिग्ध श्रण प्रावधान 214646.22		
योग- रु०	30,72,984.88	34,139.61

ह०/ निदेशक

ह०/
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह०/चार्टर्ड एकाउंटेंट

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-10

31.3.89 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

<u>चालू देयतायें एवं प्रावधान</u>		<u>1988-89</u>	<u>1987-88</u>
<u>चालू देयतायें:</u>			
क)	विविध लेनदार	19,34,826.65	6,00,408.38
ख)	अन्य देयतायें	23,04,627.24	25,63,725.25
ग)	जमा ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं	1,12,000.00	36,55,869.00
घ)	प्रतिभूति जमा	13,500.00	4,253.60
ड)	31.3.1988 को कराधान के लिये प्रावधान घटाये-भुगतान किया गया अग्रिम कर	52,859.00	
		52,859.00	
च)	प्रतिधारण राशि	16,786.24	16,786.24
छ)	बिक्री के लिये अग्रिम	1,96,073.00	-
	योग: रु०	45,77,813.13	68,41,042.67 4

ह0/
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0/ निदेशक

ह0/ चार्टर्ड एकाउंटेंट

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

अनुसूची-11

31.3.89 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की अनुसूची

बिक्री वाली वस्तुयें	31.3.1989		31.3.1988	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अन्ननास	-	-	191910	1,89,741.18
ओ.टी.एस.डिब्बे (टक्कन)	4440	3,804.50	-	-
ओ.टी.एस.डिब्बे	2500	11,423.98	97665	3,36,838.75
नारियल	-	-	11635	34,293.95
गंजनी तेल	19779.525	28,61,398.57	16806.52	22,93,387.65
काजू (गिरी)	-	-	269.75	20,903.05
प्याज	-	-	231.64	61,413.90
सिखियां	-	5,445.50	-	2,535.51
मक्का	203.00	32,050.00	683.10	1,07,748.10
जेरानियल	470.00	1,20,881.70	590.65	1,67,320.02
साबुन हेतु जेरानियल	-	-	9.05	1,009.03
तारपीन	22.00	889.10	40.00	1,623.03
सुखी मिर्च	-	-	2.55	5,853.50
तेल खली	5523.365	16,98,464.72	3300.69	11,58,605.85
नोगा दाल	132	56,100.00	64.60	24,573.00
अनुजुआ चूना	2391.65	6,46,836.06	1502.84	3,90,166.64
जेरानियल टॉप	156.00	16,544.00	158.270	22,704.85
-बीज-	41.20	28,881.00	10.26	7,438.50

₹0 एवं मोहर

घान	25.90	6,475.00	240.00	62,372.50
मूंगफली	-	-	0.30	220.00
काजू (कच्चा)	-	-	322.95	3,06,360.30
आलू	-	-	7.85	1,686.00
तोयाबीन	118.5150	82,367.92	198.50	75,430.00
गंजनी शुद्ध	110.00	28,886.00	370.20	1,05,491.88
गंजनी टॉप	58.70	6,225.00	38.25	92.46
गंजनी तेल का अवशेष	113.60	4,589.00	234.60	9,384.00
गंजनी अवशेष	69.10	2,792.00	88.40	4,420.00
जीरोनियल अवशेष	88.15	3,561.00	71.30	5,567.50
अदरक	103.80	45,195.72	103.05	60,513.27
हल्दी	-	-	95.00	33,915.00
असम शहद	3086	86,155.00	2387	47,556.00
अचार	382	5,553.00	221	3,311.00
सुपारी	-	-	15.70	649.00
फलोत्पाद (अनन्नास)	-	2,47,863.41	-	92,970.55
बागवानी औजार	-	3,419.57	-	2,504.00
अनन्नास रस सांद्रण	355	24,895.00	-	-
पाइनरप	1715	1,04,861.50	-	-
मुट्टू पेय	6	486.00	-	-
मिर्च	7.345	16,628.75	-	-
बीज	2.20	1,320.00	-	-
राजमा	75.00	445.00	-	-
फ्राइ कैरियर	4556	79,700.00	-	-
पालीथीन	7756.50	2,88,019.31	-	-

₹0 एवं मोटर



उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-12

31.3.89 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते का अनुसूची


अन्य आय	1988-89	1987-88
1. बैंक से ब्याज	1,63,032.75	10,95,287.37
2. गेस्ट हाउस से आय	19,753.80	6,747.70
3. विविध आय	1,318.82	5,406.27
4. संयुक्त उद्यम पर मुनाफा	-	12,092.26
5. परेषण बिक्री पर कमीशन	8,942.54	3,394.33
6. बीमा दावे	2,555.00	-
7. नकद - छूट	15,384.88	-
8. वाहन की बिक्री पर मुनाफा	21,389.38	-
योग-	रु० 2,32,377.17	11,22,926.93

ह0/ निदेशक

ह0/

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0/चार्टर्ड एकाउंटेंट



उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गवाहाटी

31.3.89 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की अनुसूची

अनुसूची-13

सामग्री एवं उत्पादन व्यय :	1988-89	1987-88
उपयुक्त कच्चा माल		
व्यापार - माल खरीद (अनुलग्नक "क" के अनुसार)	6,66,153.50	-
व्यापार - माल प्रारंभिक स्टॉक (" " "ख" के अनुसार)	61,35,082.25	50,13,452.26
व्यापार - माल अंतिम स्टॉक (" " "ग" के अनुसार)	11,23,663.23	
	<u>19,95,813.73</u>	<u>(62,020.54)</u>
खपत की गई पैकिंग सामग्री	11,83,643.81	-
स्टोर एवं स्पेअर्स	4,57,678.47	40,547.43
बिजली एवं ईंधन	1,25,370.95	-
उत्पाद शुल्क	67,197.72	-
दुंगी शुल्क	51,075.00	15,690.00
प्रसंस्करण लागत	5,81,104.00	1,11,705.00
फैक्ट्री में बिजली	52,574.90	-
भाड़ा/परिचालन (फैक्ट्री)	3,87,130.50	-
संयंत्र एवं मशीनरी मरम्मत	11,710.00	-
बोरियों की कीमत	-	21,626.91
प्रवेश कर	1,225.20	7,112.00
वसूली शुल्क	-	3,784.50
	<u>77,24,132.57</u>	<u>51,51,897.56</u>

योग: रुपये

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी कम्पनी
तनवी लेखकार

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

वस्तुओं की खरीद	31.3.1988		अनुसूची 13 का अनुलग्नक "क"	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नारियल	-	-	6519	15,721.50
गंजनी तेल	16525.75	22,02,548.85	19962.725	26,06,130.17
काजू (कच्चा)	214.77	1,83,466.50	334.29	2,39,396.35
सब्जियाँ	-	2,783.50	-	2,450.30
प्याज	-	-	238.23	1,11,512.05
अनन्नास	-	-	220.898	2,01,023.36
मुंगफली	-	-	0.30	210.00
सूखी मिर्च	-	-	10295	20,120.00
तिल बीज	-	-	53.38	34,451.00
नागा दाल	-	-	227.00	77,945.00
अदरक	-	-	228.20	83,698.50
मक्का	199.00	30,230.00	687.19	1,00,306.40
आलू	-	-	7.85	1,669.14
धान	46.20	11,550.00	244.80	62,116.00
सोयाबीन	118.515	79,997.63	198.50	74,437.50
खली	5557,1495	13,75,621.17	3308.35	9,23,079.75
अनछुआ चूना	2363.43	4,15,250.57	1511.24	2,99,226.82
रम.सीड	-	-	2.20	1,155.00
हल्दी	-	-	95.00	33,250.00
सुपारी	-	-	657.00	26.00
चाय	1043.50	45,082.90	325.00	13,742.66

₹0 एवं मोहर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

व्यापार-माल प्रारंभिक स्टाक

अनुसूची-13
अनुलग्नक-"ख"

विवरण	यूनिट	31.3.1988 को स्टाक		मात्रा	मूल्य	मात्रा	31.3.1988 को स्टाक	
		मात्रा	दर				दर	मूल्य
ओ.टी.एस.डिब्बे ₹ 2-1/2	अदद	17800	3.25	117520	57850.00	117520	3.25	381840.00
लम्बे डिब्बे	"	-	-	2000	-	2000	0.50	1000.00
लेबल्स	"	-	-	44600	-	44600	0.178	7938.80
कार्बोइज	"	996	140.00	139440.00	139440.00	996	140.00	139440.00
गंजनी तेल	कि.शा.	3296.25	134.92	444730.05	444730.05	4522.05	115.92	524223.33
काजू (गिरी)	"	-	-	300.00	-	300.00	92.00	27600.00
प्याज	"	-	-	2581.50	-	2581.50	1.31	3381.76
नारियल	अदद	-	-	16301.00	-	16301.00	2.34	38144.34
सूखी मिर्च	किंक्टल	7.345	2000.00	14690.00	14690.00	-	-	-
तिल	"	41.20	700.00	10500.00	10500.00	-	-	-
		15.00						
नागा दाल	"	26.00	624.00	16348.80	16348.80			
	"	64.00	380.00	24320.00	24320.00			
	"	74.25	375.00	27843.75	27843.75			
अदरख (नाफेड, दिल्ली को भेजी)	=	103.80	18.00	350.00	6300.00			
गई मगिस्थ 85-80 किंक्टल सहित)	"	4.00	85.80	358.00	30716.40			
मक्का	"	4.50	238.00	1071.00	640.00			
धान	"				1071.00			

सरसों बीज	2.20	525	1155.00
जेरेनियल शुद्ध	470.00	280.00	131600.00
गंजनी शुद्ध	110.00	280.00	30800.00
जेरेनियल टॉप	154.00	115.00	17710.00
गंजनी अवशेष	71.00	50.00	3550.00
गंजनी टॉप	66.00	115.00	7590.00
गंजनी तेल अवशेष	114.00	40.00	4560.00
तारपीन	22.00	38.00	836.00
जेरेनियल अवशेष	92.00	50.00	4600.00
चाय	42.50	38.80	1649.00
असम-शहद	355	14.00	5515.00
		बी 316	
		बी 39	
टिन	53	10.75	569.75
मिर्च-अचार	-	-	21139.90
फल उत्पाद	861.40	-	176544.00
सुगंधित उत्पाद (प्रसंस्करणधीन)	-	-	3029.12
बागवानी औजार	-	-	390.00
पपीता बीज	-	-	-
		योग: रूपये	1185688.77
			1123668.23

1984-85 में अदरख का स्टाक कम पाया गया।
नुकसान के लिए प्रावधान

40887.00
40887.00

टिप्पणी : सामग्री सूची का सत्यापन एवं प्रमाणन प्रबंध द्वारा कर लिया गया है।

ह0 एवं मोहर
र.भट्टाचार्यजी कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबंध
नेरामक लिमिटेड

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

अनुसूची-13
अनुलग्नक - "ग"

व्यापार-माल अंतिम स्टाक

विवरण	31-3-89 को स्टाक			31-3-1988 को स्टाक		
	यूनिट	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मूल्य
ओ.टी.एस.डिब्बे (ए2-1/2 साइज)	अदद	15300	3.25	17800	3.25	57850.00
तंबे डिब्बे	"	-	-	-	-	-
कार्बोइज	"	996	140.00	996	140.00	139440.00
गंजनी तेल	कि.ग्रा.	-	-	3290.25	134.92	444730.05
काजू गिरणी	-	-	-	-	-	-
सूखी मिर्च	क्विंटल	-	-	-	-	-
तिल	"	-	-	7.345	2000.00	14690.00
नागा दाल	"	6.25	380.00	41.20	651.66	26848.80
अदरक	"	-	-	64.00	380.00	24320.00
धान	"	24.80	250.00	74.25	375.00	27843.75
मक्का	"	-	-	103.80	356.60	37016.40
सरसों	"	-	-	4.50	238.00	1071.00
जेरेनियल	कि.ग्रा.	-	-	4.00	160.00	640.00
गंजनी	"	-	-	2.20	525.00	1155.00
जेरेनियल टॉप	"	-	-	470.00	280.00	131600.00
गंजनी "	"	-	-	110.00	280.00	30800.00
गंजनी अवशिष्ट	"	-	-	154.00	115.00	17710.00
गंजनी तेल अवशिष्ट	"	-	-	66.00	115.00	7590.00
तारपीन	"	-	-	71.00	50.00	3550.00
जेरेनियल अवशिष्ट	"	-	-	114.00	40.00	4560.00
	"	-	-	22.00	38.00	836.00
	"	-	-	92.00	50.00	4600.00

ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी कम्पनी

चाय	कि.ग्रा.	54.00	34.00	986.00	42.50	38.80	1649.00
असम शहद	बोतल	1447	38.80	970.00	355	316 (14.00)	5516.00
			28.00	40516.00		39(28.00)	
			14.00	14.00			
मिर्च अचार	टिन	2	10.75	-	53	10.75	569.75
फल उत्पाद	-	-	-	-	-	-	21139.90
सुगंधित उत्पाद	-	-	-	-	861.40	-	176544.00
ए.सी.ए.पी सहित (प्रसस्करणधीन)	-	-	-	-	-	-	3029.12
बागवानी औजार	-	-	-	-	-	-	
पपीता बीज	-	104.00 (कल.)	35.00	-	-	-	
अनन्नास रस सांद्रण	कि.ग्रा.	11133.50 (ब.)	35.00	821412.50	-	-	
		295.00 (ज.दि)	35.00		-	-	
		13095.00 (फेब्रुअरी)	31.00		-	-	
		338.00 (एजीटी)	35.00		-	-	
पाइनसप	द्वे	24222 (न.दि)	54.00	2119864.00	-	-	
		15613 (बडौचा)	52.00		-	-	
		योग : रुपये		3181502.50			1185688.77
1984-85 में अदरख का स्टाक कम पाया गया				40887.00			40887.00
नुकसान के लिए प्रावधान				40887.00			40887.00

टिप्पणी : सामग्री सूची का सत्यापन, मूल्य निर्धारण एवं प्रमाणन प्रबंध द्वारा कर लिया गया है ।

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी कम्पनी
सनदी लेखाकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

अनुसूची-14

कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से भुगतान एवं उनके लिये प्रावधान


	31.3.89 की स्थिति	31.3.88 की स्थिति
वेतन एवं मजदूरी	19,52,262.97	9,16,257.47
भविष्य निधि में अंशदान	1,14,029.00	72,658.00
ग्रेच्युटी	10,000.00	12,387.20
कर्मचारी-कल्याण	41,207.76	39,241.56
बोनस	84,705.61	83,635.00
सीपीएसओ/डीएसओआईओ		
के लिए प्रशासनिक शुल्क	17,144.00	5,922.00
स्टाफ को पोशाक	3,608.00	1,862.65
छुट्टी वेतन अंशदान	-	5,488.00
सामूहिक बीमा	-	1,200.00
	<hr/>	<hr/>
	22,22,957.34	11,38,651.88
	<hr/>	<hr/>

ह0/निदेशक

ह0/

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0/ चार्टर्ड एकाउंटेंट



31.3.89 को समाप्त वर्ष के लाभ - हानि लेख की अनुसूची

xxx

बिक्री, वितरण, प्रशासनिक और अन्य खर्च	31.3.89 को स्थिति	31.3.88 को स्थिति
किराया	2,95,469.05	1,77,922.05
बीमा	1,49,904.65	47,964.66
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	62,313.68	44,206.21
टेलीफोन एवं टैलेक्स	1,70,042.60	72,312.50
हवाई अड्डा स्टाल व्यय	4,596.00	-
यात्रा भत्ते निदेशकों के लिये 2,32,844.53 रु यात्रा भत्ता सहित	5,42,884.74	3,23,580.21
अंशदान शुल्क	-	2,075.00
पुस्तकें एवं पत्रिकायें	24,342.13	7,985.60
बैंक कमीशन	16,580.16	9,672.95
विज्ञापन व्यय	13,105.00	69,856.50
सम्मेलन एवं संगोष्ठी	53,742.14	-
विविध व्यय	29,794.94	48,052.98
दलाली/कमीशन	3,000.00	-
बिजली फिटिंग	13,688.99	5,649.85
वाहन चालन एवं अनुरक्षण व्यय	2,47,482.43	1,32,050.25
सुरक्षा व्यय	10,711.40	-
सत्कार व्यय (सी.एम.डी के लिये 6,000/- रुपये और बोर्ड की बैठकों के लिये 27,291.60 रुपये सहित)	68,150.55	50,809.17
गेस्ट हाउस व्यय	38,936.10	6,176.20
बिजली खर्च	20,749.23	8,875.00
कार्यालय उपकरण की सर्विसिंग एवं अनुरक्षण	8,756.62	1,161.00
बिक्री कमीशन	69,751.04	32,380.00
औजार एवं यंत्र	133.00	3,169.35
दर एवं कर	3,421.50	11,137.00
बिक्री व्यय	1,433.50	-
जी.एम.सी स्टाल व्यय	1,798.85	-
फाइलिंग शुल्क	2,140.00	600.00
सदस्यता शुल्क	1,510.00	-

भाड़ा एवं ढुलाई	3,56,170.28	4,56,816.05
डाक शुल्क एवं टेलीग्राम	20,385.21	12,444.60
प्रवर्तन व्यय	22,567.30	-
लाइसेंस शुल्क	1,550.00	-
बिक्री कर	1,74,691.60	45,678.03
सवारी भत्ता	13,774.60	14,489.60
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	18,000.00	-
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	12,000.00	7,000.00
बिलम्ब शुल्क	1,963.00	-
नवीकरण शुल्क	1,760.00	-
व्यावसायिक एवं स्थानीय व्यय	91,350.00	27,759.35
कर लेखा परीक्षा शुल्क	4,000.00	4,000.00
निर्यात संवर्धन व्यय	68,832.50	-
लोगो	-	27,137.00
कार्यालय भवन अनुरक्षण	-	1,042.70
क्षेत्रीय कार्यालय इम्फाल का उद्घाटन	-	3,845.10
प्रयोगशाला परीक्षण	-	751.50
योग : रूपये	<u>26,41,567.79</u>	<u>16,56,700.50</u>

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
ए.भट्टाचार्यजी कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

अनुसूची-16

पूर्वावधि समायोजन :	31.3.89		31.3.88	
I. आय :				
1. बिक्री		-	720.00	-
2. अन्य आय	5956.16	5956.16	523.20	1243.20
II. व्यय :				
1. समयोपरि भत्ता	187.35	-	-	-
2. सदस्यता शुल्क	4125.00	-	-	-
3. चिकित्सा व्यय	509.55	-	444.95	-
4. यात्रा व्यय	4468.07	-	-	-
5. जी.पी.एफ/सी.पी.एफ	1391.00	-	-	-
6. खरीद	2539.00	-	-	-
7. वेतन एवं भत्ते	10012.30	-	5655.20	-
8. पुस्तकें एवं पत्रिकायें	31.60	-	-	-
9. अन्य व्यय	84.40	-	-	-
10. किराया	12871.60	-	3500.00	-
11. बिक्री कर	-	-	427.75	-
12. ग्रेच्युटी	-	-	13550.10	-
13. पुश्ता-कार्ट	-	-	3000.00	-
14. व्यावसायिक कर	2150.00	-	525.00	-
15. जमा ब्याज	-	-	4348.49	-
16. विज्ञापन	-	-	10004.00	-
17. टेलीग्राम, टैलेक्स	2892.50	-	1474.00	42929.49
18. बिजली शुल्क	91.10	41353.47	-	(-) 41686.29
III. पहले वर्षों से संबंधित आयकर	-	-	-	2861.00
योग : रुपये		35397.31		44547.29

ह0 एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
स.भट्टाचार्यजी कम्पनी
लेखाकार

स्टाक में कमी :

अनुसूची-17

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

विवरण	31.3.89 के रिकार्ड के अनुसार स्ट्राक	31.3.89 के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार स्ट्राक	31.3.89 को समाप्त वर्ष में कमी	दर	मूल्य	31.3.88 को स्ट्राक	31.3.88 के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार स्ट्राक	31.3.88 को समाप्त वर्ष में कमी	दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ओ.टी.एस डिब्बे (र 2-1/2 साइज)	15300 अदद	15300 अदद	शून्य	-	-	6678.75	19855 सं. 17800	2055	3.25	
अदरख	-	-	-	-	-	7557.90	125.15 कि.	21.35	354.00	
अनन्नास	-	-	-	-	-	24639.80	28988 सं	28988	0.85	
सूखी मिर्च	-	-	-	-	-	810.00	775 कि.	0.41	2000.00	
तिल	-	-	-	-	-	1271.04	43.12 "	1.92	662.00	
नागा दाल	6.25 कि.	6.25 कि.	-	-	-	1564.55	142.40 "	4.15	377.00	
मक्का	-	-	-	-	-	14.40	4.09	0.09	160.00	
खली	34.13	-	-	-	-	2138.53	7.67	7.67	279.00	
धान	24.80 "	24.80	-	-	-	71.40	4.80	0.30	298.00	
अनुसूखा घूना	-	-	-	-	-	1664.00	8.403	8.403	198.00	
काजूगिरी	-	-	-	-	-	2783.00	30.25	30.25	92.00	
जेरीनियल शुद्ध	-	-	-	-	-	2445.96	479.35	470.00	261.60	
बड़े डिब्बे	-	-	-	-	-	1000.00	2000	2000	0.50	
नारियल	-	-	-	-	-	26844.00	11185	11185	2.40	
प्याज	-	-	-	-	-	15167.88	32.41 कि.	32.41	468.00	

होएवं मोहर
र.भट्टाचार्यजी

**उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन
निगम लिमिटेड गुवाहाटी**

तालिका-18

31.3.89 के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में तालिका

लेखों पर टिप्पणियां:

1.	पूंजी खाते में किए जाने वाले शोध करार संबंधी कार्य का अनुमानित हिसाब 0.96 रुपये लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह 30.00 लाख रुपये था)		
2.	निगम के पास त्रिपुरा के कैलाशहर उप मण्डल के अंतर्गत मौजा नलकटा में सी.एस. प्लॉट सं० 377 (नया) में 3.64 हेक्टेयर भूमि है जिसे त्रिपुरा सरकार द्वारा निशुल्क आंबटित किया गया है और इसकी कीमत शून्य ली गयी है।		
3.	स्टॉक की कमी की वजह से बीमा दावे को इनके निपटारे की अनिश्चितता के कारण जब भी इन्हें तय किया गया लेखे में ले लिया गया है।		
4.	आयात कर का सी.आई.एफ. मूल्य	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
		-----	-----
		रुपये	रुपये
5.	क. अतिरिक्त कल पुर्जे ख. पैकिंग सामग्री (असेस्टिक बैग) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान एवं इसका प्रावधान:-	-	3345.00
		3.28 लाख	3.03 लाख
		चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
		-----	-----
		रुपये	रुपये
	लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में	12,000.00	7,000.00
	अन्य क्षमता में:		

	1. लेखा परीक्षा शुल्क कर	-	4,000.00
	2. प्रबन्धन सेवारं	-	15,000.00
		-----	-----
		12,000.00	26,000.00
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को भुगतान एवं उनके संबंध में प्रावधान:	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
		-----	-----
		रुपये	रुपये
	1. वेतन एवं भत्ते	78,463.06	74,576.09
	2. आतिथ्य सत्कार	6,000.00	6,000.00
	3. चिकित्सा लाभ	1,149.80	7,344.23
	4. सी.पी.एफ.	11,448.00	7,970.00
	5. छुट्टी यात्रा रियायत	-	2,378.00
	घाटे को देखते हुए चालू वर्ष के लेखों में कराधान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।		
7.	विदेशी मुद्रा में व्यय (रोकड़ आधार पर)		
		-----	-----
		चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के	67,122.89	-

विदेशी दौरे पर भुगतान

9. फल रस सांद्रण संयंत्र नलकटा में वाणिज्यिक उत्पादन 10 जून, 1988 को आरंभ हो चुका है। उत्पादन आरंभ होने की तारीख तक हुए प्रचालन पूर्व खर्च एवं इसके ब्याज को उनकी प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में संयंत्र एवं मशीनरी एवं फैक्ट्री भवन के नाम आबंटित कर दिया गया है।

10. उत्पादन क्षमता	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
1. अनुसप्त क्षमता	48.00 मी.टन प्रति दिन	
2. स्थापित क्षमता	48.00 मी.टन प्रति दिन	
3. वास्तविक उत्पादन		
1. रस सांद्रण	36.05 मी.टन	
2. पाइनस्प	227.043 किलो लीटर	

11. उपयोग में लाये गये कच्चे माल का विश्लेषण

मद	खपत	मूल्य
अनानास	541.54 मी.टन	487,763.50
सिट्रिक एसिड	302.10 कि.ग्राम	14,544.00
चीनी	23.25 मी.टन	1,53,930.00
सुगन्ध	3.75 लीटर	9,916.00
		<u>666,153.50</u>

नोट: नलकटा संयंत्र में तैयार 9.87 मी.टन रस सांद्रण की पाइनस्प तैयार करने में खपत कर ली गई है।

12. निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनसे विस्तृत लेखा ब्योरा प्राप्त न होने के कारण छट्टी वेतन की राशि विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जा सकी :

1. श्री डी.बी.चक्रवर्ती, सहायक इंजीनियर नलकटा
2. श्री तपन आचार्यजी, पूर्व ए.एम.एम. अगरतला
3. श्री जे0 डारलॉग, ए.एम.एम. नलकटा
4. श्री एन0 निमै सिंह, ए.एम.एम. इम्फाल
5. श्री एस.आर.देव, क्षेत्रीय प्रबंधक, अगरतला

13. जहाँ कहीं आवश्यकता प्रतीत हुई पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से श्रेणीकृत एवं व्यवस्थित किया गया है।

14. संयंत्र और मशीनरी की लागत में मै0 त्रलकान लवल को आयतित मशीनरी के लिए 71.46 लाख रुपये का भुगतान शामिल है जिसमें सीमा शुल्क एवं एल.सी. खोलने तथा आयतित सामग्री की निकासी के बीच की अवधि में अमरीकी डालर एवं स्वीडिश क्रोनर की विनिमय दरों में अन्तर को शामिल किया गया है। आयतित मशीनरी की उतराई के बाद की लागत को 62.90 लाख तक सीमित करते हुए (सी.आई.एफ के साथ निकासी की तारीख को 3.20 लाख अमरीकी डालर के लिए किस गण करार के मुताबिक) आवश्यक समायोजन निविदाकार के साथ चल रही मध्यस्थता का समाधान होने पर अंतिम रूप से किया जायेगा।

15. इम्फाल कार्यालय के लिए देय किराये के संबंध में बकाया देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है और इस मामले पर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है और निगम को यह उम्मीद है कि कार्यालय के लिए यह स्थान निशुल्क प्राप्त हो जायेगा।
16. उन कर्मचारियों जिन्हें पूरे वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और जिन्हें कुल मिलाकर 72,000/-रूपये या इससे अधिक सालाना परिलब्धियां प्राप्त हुईं और उन कर्मचारियों जिन्हें वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त किया गया और जिन्हें 6,000/-रूपये या इससे अधिक परिलब्धियां प्राप्त हुईं, पर किस गये खर्च का ब्यौरा

	पूरे वर्ष के लिए नियुक्त		वर्ष के एक भाग के लिए नियुक्त	
	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
1. कर्मचारियों की सं०	1	-	-	-
2. वेतन/भत्ते	78,463.05	74,576.09	-	-
3. पी.रफ में अंशदान	11,448.00	7,970.00	-	-

17. फल रस सान्द्रण संयंत्र के संबंध में विज्ञापन सहित उद्घाटन खर्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्धक्षम परियोजनाओं के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सी.रफ.टी.आर.आई. को किस गये भुगतान को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है।
18. निवेश भत्ता रिजर्व निर्धारण योग्य लाभ वाले वर्ष में सृजित किया जायेगा।
19. निगम के खिलाफ वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया है:
- क) आय कर प्राधिकारियों ने निर्धारण वर्ष 1983-84 के लिए 16,78,000/-रूपये की मांग की है। निगम ने आयकर कमिश्नर के समक्ष संशोधन याचिका दायर की है जो न्यायाधीन है।
- ख) मै० वुलकान लाल द्वारा सप्लाई की गयी स्वदेशी मशीनरी के मामले में वारेण्ट दायित्वों के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सप्लायरों द्वारा करीब 2.00 रूपये की मांग की गयी है लेकिन निगम द्वारा इसे विवादित माना गया है।
- ग) इंडियन इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की सप्लाई के मामले में वारेण्ट देयताओं के लिए मागे गये करीब 0.12 लाख रूपये की राशि को निगम द्वारा गुणवन्ता/कमी के कारण स्वीकार नहीं किया गया है।
20. 1988-1989 के दौरान बीमा राशि को उपार्जन के आधार पर लिया गया है।

ह० एवं मोहर
निदेशक
नेरामक लि०

ह० एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेरामक लि०

6-8-90

ह० एवं मोहर

स. मट्टाचार्यजी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

- 85 -

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
गुवाहाटी

31.3.89 समाप्त वर्ष के लिए अनानास रस सान्द्रण और पाइनरप के मामले में उत्पादन लेखा

	सान्द्रण	पाइनरप
क. मुख्य लागत (प्रत्यक्ष फैक्ट्री ओवर हेड्स सहित)		
खपाया गया कच्चा माल	4,87,763.50	1,78,390.00
खपायी गयी पैकिंग सामग्री	2,26,119.53	9,57,524.28
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्ज	4,57,678.47	-
पावर एवं ईंधन	1,25,370.95	-
वेतन (उत्पादकता)	1,28,710.05	-
प्रसंस्करण लागत	-	5,81,104.00
फैक्ट्री बिजली	52,574.90	-
भाड़ा एवं संभाल कायम (कच्चा माल)	2,41,895.30	20,776.73
संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत	11,710.00	-
पाइनरप के लिए इस्तेमाल किए गए सान्द्रण की लागत	-	1,73,760.00
कुल मुख्य लागत घटायें:	17,31,822.70	22,11,555.01
क्लोजिंग स्टॉक पाइनरप के लिए अंतरित सान्द्रण की लागत	8,21,412.50	21,19,864.00
बेचे गये सामान के लिए मुख्य लागत आबंटन	4,73,760.00	-
फैक्ट्री कार्मिक (प्रशासनिक स्टाफ सहित)	12,95,172.50	24,952.62
प्रशासनिक एवं बिक्री अधिभार	4,36,650.20	1,02,835.95
ब्याज	-	-
मल्यहास	-	-
उत्पाद शुल्क माइवेट घटाकर	10,787.96	56,409.76
उद्घाटन व्यय	-	-
	21,19,864.00	91,691.01

ग. मुख्यालय ओवरहेड का अंश
ट. बेचे गये माल की कुल लागत
ठ. बिक्री
ड. कुल हानि

13,72,000.00
122,27,242.96
24,895.00
122,02,347.96

2,75,889.34
1,04,861.50
1,71,027.84

क. उत्पादित मात्रा
ख. बेची गई मात्रा
ग. अपने पास सामग्री
घ. आन्तरिक रूप से खपाई
गयी मात्रा

36.05 मी.टन.
0.355 मी.टन.
24.8615 मी.टन.
9.870 मी.टन.

मात्रात्मक विवरण

42045 ₹
1715 ₹
39,835 ₹

इती तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट
के अधीन हस्ताक्षरित


स्थान: गुवाहाटी

ह0 एवं मोहर
निदेशक नेरामक
लिमिटेड

दिनांक 4.9.90

ह0 एवं मोहर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेरामक लिमिटेड

ह0 एवं मोहर
र.भट्टाचार्य.जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार



Kiran's Electrostat
(A Woman Enterprise)

M-58, PALIKA BHAWAN (OPP. HOTEL HYATT REGENCY)
R. K. PURAM, SECTOR-13, NEW DELHI-110 066